श्री शान्ता कुमार

मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश

का

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष

29 मार्च, 1979

को

वर्ष 1979-80 के

बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए

भाषण

H
330.954 52
H 57

H
330.954 52
H 57

INDIAN INSTITUTE OF
ADVANCED STUDY
LIBRARY SIMLA

62191
14.5.79

Library IIAS, Shimla
H 330.954 52 H 57
00062191

श्री शान्ता कुमार, मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश, का वर्ष 1979-80 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए 29 मार्च, 1979, को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष भाषण

महोदय,

मैं वर्ष 1979-80 के बजट अनुमान प्रस्तुत किया चाहता हूं।

आर्थिक स्थिति की सामान्य समीक्षा

इससे पूर्व कि मैं माननीय सदस्यों के समक्ष बजट अनुमानों का विस्तृत विवरण दूं, मैं उनका ध्यान अपने प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था के कुछ मुख्य पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 1977 में हमारे यहां बाढ़ का प्रकोप रहा तथा इससे बहुत हानि हुई। चालू वित्तीय वर्ष में भी हमें एक बार फिर से बाढ़ के भयंकर प्रकोप का सामना करना पड़ा। इन बाढ़ों से सम्पति का बड़े पैमाने पर नुकसान तो हुआ ही, पर साथ ही साथ बहुत बड़ी जनसंख्या को भी अत्यन्त दुःख हुआ। प्रदेश को इस आपत्ति का सामना करने के लिए अपने सारे साधनों का संयोजन करना पड़ा तथा मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने आपत्ति-ग्रस्त क्षेत्रों तथा बाढ़-पीड़ित गृह विहीन परिवारों को पर्याप्त तथा समयानुकूल राहत पहुंचाई। अभी हम इस प्राकृतिक प्रकोप से संभल भी न पाए थे कि लाहौल-स्पीति, किन्नौर तथा पांगी क्षेत्रों में भीषण हिमपात तथा बर्फ के तोदों के गिरने से एक भयंकर दुर्घटना घटी, जिसमें जीवन एवं सम्पति का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। हमारी सरकार आवश्यक राहत पहुंचाने के लिए न केवल आपात-कालीन स्तर पर परन्तु दीर्घ कालीन अवधि के लिए भी आवश्यक कार्य कर रही है तथा अपनी समर्थता में करती रहेगी। फिर भी मैं अपने प्रदेश के लोगों के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने इन निरन्तर प्रकोपों का साहसपूर्ण सामना करने के लिए अपने को संगठित किया।

राष्ट्रीय स्तर पर भी सारे राष्ट्र को भयंकर बाढ़ व वातचक्रों से जूझना पड़ा। इसके बावजूद भी मैं यह कहते हुए प्रसन्नता

अनुभव कर रहा हूं कि चालू वर्ष में भारतीय अर्थ-व्यवस्था की स्थिति काफी संतोषजनक रही। वर्ष 1977-78 में खाद्यान्नों का उत्पादन 12.56 करोड़ मीट्रिक टन हुआ जो कि एक नया मानक था। वर्ष 1978-79 में भी इस स्तर की उपलब्धि की आशा है। औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में चालू वित्तीय वर्ष में 7 से 8 प्रतिशत बढ़ौतरी की सम्भावना है। कृषि उत्पादन तथा पर्याप्त औद्योगिक उत्पादन से मूल्यों में स्थिरता आई है। इस फरवरी, 1979 को थोक भावों का सूचकांक एक वर्ष पूर्व के स्तर से केवल 0.9 प्रतिशत अधिक था तथा 2 वर्ष पूर्व के स्तर से केवल 0.4 प्रतिशत अधिक। इन दो वर्षों की अवधि में मूल्यों में इतनी स्थिरता के साथ-साथ राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर 11 प्रतिशत रहा जिसके समरूप उदाहरण मिलना संसार में कठिन है। यह प्रदाय एवं मांग की उचित प्रबन्ध नीतियों से सम्भव हुआ है।

हिमाचल प्रदेश के लिए उपभोक्ता मूल्यों के सूचकांक में दिसम्बर, 1977 के मुकाबले में दिसम्बर, 1978 में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खाद्य पदार्थों के समूह के लिए इसी अवधि में सूचकांक के स्तर में 0.4 प्रतिशत की कमी आई। खाद्यान्न उत्पादन जोकि 1976-77 में 9.23 लाख मीट्रिक टन था, 1977-78 में बढ़ कर 10.64 लाख मीट्रिक टन हुआ तथा चालू वर्ष में इसके 12.31 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है। औद्योगिक क्षेत्र में छोटे तथा मध्यम कारखानों की स्थापना से तीव्रगामिता आई है। चालू वर्ष में एक मुख्य उपलब्धि यह रही कि गिरी-बाता जल-विद्युत परियोजना के 60 मैगावाट क्षमता के दोनों यूनिट अधिष्ठापित किए गए।

अब मैं वित्तीय स्थिति के विवरण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

वर्ष 1977-78 के संशोधित अनुमानों के हिसाब से वर्ष के अन्त में 700 लाख रुपये का घाटा होना था परन्तु वास्तविक घाटा 875.02 लाख रुपये था। राजस्व खाते में 1977-78 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 2744.89 लाख रुपये की अधिक

प्राप्तियां होनी थीं जो कि वास्तव में उस वर्ष में 3365.99 लाख रुपये हो गई। पूंजीलेखे के अधीन वर्ष 1977-78 के लिए 3310.01 लाख रुपये का घाटा अनुमानित था जो कि वास्तव में 3274.23 लाख रुपये हुआ।

संशोधित अनुमान 1978-79

वर्ष 1978-79 के प्राथमिक अनुमानों के अनुसार राजस्व खाते में 2889.16 लाख रुपये का अतिरेक (Surplus) अपेक्षित था, 1978-79 के संशोधित अनुमानों के आधार पर यह 3348.30 लाख रुपये है तथा इस में प्राथमिक अनुमानों की अपेक्षा 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि जल प्रदाय स्कीमों के लिये केन्द्र से अधिक अनुदान सहायता, वर्षा तथा ओलों से हुए नुकसान के लिए अग्रिम केन्द्रीय योजना सहायता, केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के लिये अधिक धन मिलने तथा नशाबन्दी लागू करने के कारण हुई है। विभिन्न मदों में बढ़े हुए खर्चे में इस केन्द्रीय सहायता को प्रयोग किया जा रहा है तथा राजस्व खाते में अतिरेक (Surplus) वास्तविक स्थिति को दर्शाता है।

वर्ष 1978-79 के पूंजी लेखे में पूर्व अनुमानित 3055.82 लाख रुपये के खर्च के मुकाबले में 3760.55 लाख रुपये खर्च किए जायेंगे। यह 704.73 लाख रुपये की अधिकता मुख्यत: जल प्रदाय एवं सिंचाई, सहकारिता, लघु सिंचाई और परिवहन आदि में बढ़े हुए खर्च के कारण होगी।

पूंजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण शीर्ष के अन्तर्गत 353.81 लाख रुपये का शुद्ध अतिरेक है। यह वृद्धि केन्द्र सरकार से 323.29 लाख रुपये के अधिक ऋणों, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण सहायता में 80.20 लाख रुपये की वृद्धि तथा राज्य सरकार पर ऋणों तथा अग्रिम राशि के दायित्व में कमी के कारण है। पूंजी प्राप्तियों में अन्य मद शुद्ध ऋण तथा अग्रिम राशियां हैं जिन में पूर्वानुमानित 1368.34 लाख रुपये की बजाए 1460.96 लाख रुपये का घाटा है। अत: इस खाते में 92.62 लाख रुपये की और कमी हुई है। यह मूल बजट अनुमानों में की गई राशि के मुकाबले में अन्य पार्टियों को अधिक ऋण व अग्रिम राशियां देने तथा ऋणों व अग्रिम राशियों की कम वसूली के कारण हुआ है। लोक खाते

में 159.42 लाख रुपये की और बढ़ौतरी हुई है जो मुख्यत: भविष्य निधि में अधिक डिपोजिट और एडवान्सिज के कारण हुई है ।

कुल मिलाकर वर्ष 1978-79 के अन्त में 999 लाख रुपये का घाटा होगा। इसमें 1978-79 के आरम्भ में 875.02 लाख रुपये का पिछला घाटा भी सम्मिलित है ।

बजट अनुमान 1979-80 राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता, केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए प्रावधानों व करों के चालू दरों (1978-79) सहित कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 17464.16 लाख रुपये का है जिसके मुकाबले में 14414.55 लाख रुपये का खर्चा होगा । पूंजी खाते में 3049.61 लाख रुपये का राजस्व अतिरेक होगा। पूंजी खाते में 5142.01 लाख रुपये के अनुमानित खर्चे के मुकाबले में 1548.50 लाख रुपये की शुद्ध प्राप्तियों के अनुमान से 3593.51 लाख रुपए का घाटा होगा । अत: कन्सौलिडेटिड फण्ड में घाटे का अनुमान 543.00 लाख रुपए का है । लोक खाते में भविष्य निधि सहित 154.90 लाख रुपये की प्राप्तियां अनुमानित हैं । इस प्रकार 389.00 लाख का सकल घाटा अनुमानित है ।

करों की चालू दरों के आधार पर वित्तीय स्थिति का विवरण इस प्रकार है :—

	(रुपये लाखों में)
1. प्रारम्भिक बकाया	(—) 999.00
2. प्राप्तियां—	
(क) राज्य की घरेलू तथा वैधानिक आमदनी :—	
(i) राज्य कर व गैर-कर राजस्व (वर्तमान दरों पर)	3781.07
(ii) कर्जे व पेशगियों की वसूली	145.90
(iii) केन्द्रीय करों में हिस्सा	1949.00
(iv) धारा 275 के अधीन अनुदान	3760.00
(v) प्रशासन स्तरों में उन्नति हेतु सहायता अनुदान	123.47

(vi) जन-जातीय उपयोजना के कार्य-क्रमों के लिए विशेष अनुदान	125.00
(vii) नशाबन्दी के स्थान पर अनुदान	150.00
(viii) लोक लेखा आमदनी (निवल)	154.90
जोड़	10189.34
(ख) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान:	
(i) राज्य योजना के लिये सहायता अनुदान	5747.40
(ii) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायता अनुदान –आई० सी०ए०आर० तथा एन०सी० डी०सी० के हिस्सों सहित)	1497.22
(iii) काम के बदले अनाज के अन्तर्गत अनुदान	331.00
जोड़	7575.62
(ग) ऋण	
(i) राज्य योजना के लिए केन्द्र सरकार से कर्जे	638.60
(ii) कन्द्रीय द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से कर्जे	441.90
(iii) लघु बचत के एवज़ में कर्जे	400.00
(iv) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कर्जे	293.00
(v) मार्केट से कर्जे	167.00
(vi) भारतीय रिज़र्व बैन्क से अर्थोपाय के आधार	1200.00
जोड़	3140 50
सफल जोड़—प्राप्तियां	20905.46

3. खर्चे—	
गैर-योजना	12327.34
योजना (क) राज्य योजना	6903.00
(ख) कन्द्रीय जन-जातीय उपयोजना	125.00
कन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	1939.12
जोड़	21294.46
घाटा (1+2—3)	1388.00

उपरोक्त घाटा वर्ष 1978-79 तक के चालू कराधान दरों के आधार पर निकाला गया है। इस में आगामी वर्ष 1979-80 में अपनाए जाने वाले अतिरिक्त वित्तीय प्रसाधनों के समायोजन के अनुमान सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार आगामी वर्ष के 999 लाख रुपये क घाटे से आरम्भ किए जाने की प्रस्तावना है। वर्ष 1979-80 में 369 लाख रुपये के अतिरिक्त वित्तीय साधनों का समायोजन किया जाएगा। इनके विवरण देने से पूर्व में आपके समक्ष आगामी वर्ष की योजना के कुछ मुख्य पहलुओं का हवाला देना आवश्यक समझता हूं।

सातवें वित्त आयोग के निर्णय

सातवें वित्त आयोग के अभिस्तावों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में हमें अनुदान मिले। 1979—84 की पंच-वर्षीय अवधि के लिए हमें 325.07 करोड़ रुयये की राशि उपलब्ध हुई तथा इसके अतिरिक्त 30.37 करोड़ रुयये की ऋण-राहत भी प्रदेश को मिली। जहां तक पांचवीं योजना (1974—78) में चालू किए गए कार्यक्रमों का प्रश्न है, इनके उपार्पित दायित्वों का व्यय पूरा करने के लिए हमें वित्त आयोग से 1979—84 की अवधि के लिए 85.43 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

वार्षिक योजना 1979-80

वर्ष 1979-80 की योजना का आकार 73 करोड़ रुपये निर्धारित हुआ है। वर्ष 1978-79 में चालू कार्यक्रमों को आगामी अवधि में जारी रखनें के लिए हमें अ-योजना क्षेत्र से

15.46 करोड़ रुपये के प्रावधान 1978-79 योजना में उपलब्ध होंगे। अतः यह अ-योजना व्यय भी विकास कार्यों में व्यय होगा। इसके अतिरिक्त "काम के लिए अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत हम 3 करोड़ 31 लाख रुपये के अनाज का भी विकास कार्यों में प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वर्ष 1979-80 का सकल विकास परिव्यय 91.77 करोड़ रुपये बनता है जोकि 1978-79 के योजना परिव्यय से लगभग 25.7 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 1979-80 में प्राथमिकताओं के वास्तविक निर्धारण से जिन क्षेत्रों को विशेषतया लाभ पहुंचा है उनमें मुख्य हैं: जल एवं विद्युत विकास, सहकारिता, जल प्रदाय, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, आवास, अनुसूचित जातियों, जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा समाज कल्याण। वर्ष 1979-80 के लिए निर्धारित क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का ढांचा लगभग वही रहा है जोकि हमने वर्ष 1978-79 के लिए निर्धारित किया था। केवल कुछ क्षेत्रों के प्रतिशतांशों में थोड़े परिवर्तन हुए हैं। "जल एवं विद्युत विकास" को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है तथा इसके पश्चात् क्रमशः "कृषि एवं सजातीय सेवाएं", "यातायात एवं संचार" तथा "सामाजिक व सामुदायिक सेवाएं" आते हैं।

विद्युत विकास के लिए वर्ष 1979-80 में 18.50 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है जोकि गत वर्ष के 17.38 करोड़ रुपये के संभावित व्यय से 6.44 प्रतिशत अधिक है। जल प्रदाय कार्यक्रम में वर्ष 1978-79 के 4.86 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले में आगामी वर्ष के लिए 5.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जोकि 18.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सहकारिता क्षेत्र में वर्ष 1979-80 के लिए 100 लाख रुपये का प्रावधान है जोकि वर्ष 1978-79 के 89 लाख रुपये के प्रावधान से 12.36 प्रतिशत अधिक है। बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम पर वर्ष 1978-79 में 13 लाख रुपये का प्रावधान था जिसके मुकाबले में 1979-80 में परिव्यय 40 लाख रुपये रखा गया है। यह गत वर्ष के मुकाबले में 207.69 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में

1978-79 के 111 लाख रुपये के प्रावधान के मुकाबले में 1979-80 में 133 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जोकि 19.82 प्रतिशत की वृद्धि है। समाज कल्याण क्षेत्र के अन्तर्गत 1978-79 के 52 लाख रुपये के प्रावधान के मुकाबले में 1979-80 में 83 लाख रुपये रखे गए हैं तथा यह 63.46 प्रतिशत की वृद्धि है ।

इनके अतिरिक्त जिन वार्षिक योजना 1979-80 के मुख्य पहलुओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वे निम्न हैं:

अन्त्योदय, पिछड़ी श्रेणियों तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए निगम

वर्ष 1979-80 में यह प्रथम बार होगा कि अन्त्योदय कार्यक्रम के लिए विभिन्न विकास शीर्षों में परिव्ययों का चिह्नांकन किया गया है। इस प्रयोजन से कृषि में 35 लाख रुपये, बाग़बानी में 15 लाख रुपये, पशुपालन में 40 लाख रुपये तथा ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए 25 लाख रुपये का चिह्नांकन किया गया है। इस 1.15 करोड़ रुपये के सकल प्रावधान में अन्त्योदय तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक निगम की स्थापना हेतु 25 लाख रुपये चिह्नांकित किए गए हैं। इन चिह्नांकित परिव्ययों के अतिरिक्त अन्त्योदय परिवारों को सामान्य योजना विकास कार्यक्रमों में भी समुचित लाभ मिलते रहेंगे। अन्त्योदय परिवारों के लिए छात्रवृत्तियां तथा मुफ्त कानूनी सलाह देने के भी प्रबन्ध किए गए हैं। यह अनुमानित है कि आगामी वर्ष में 19,000 परिवार और चयनित किए जाएंगे तथा चालू वर्ष में चयनित परिवारों के विकास कार्यक्रम को और सघन किया जाएगा।

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु निगम

हिमाचल प्रदेश में लगभग 60,000 भूतपूर्व सैनिकों के समुचित आर्थिक उत्थान तथा पुनर्वास के लिए हमारी सरकार ने 10 लाख रुपये के निवेश से एक निगम की स्थापना प्रस्तावित की है। इससे न्यूनतम 500 भूतपूर्व सैनिकों को 1979-80 में लाभान्वित किया जाएगा।

वर्ष 1979-80 में "अनुसूचित-जाति विकास निगम" के लिए हमारी सरकार ने 45 लाख रुपये का प्रावधान चिह्नांकित किया है। यह अनुमानित है कि इतनी ही राशि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक भी उपलब्ध करेगा। इन प्रावधानों से समाज के निरन्तर दलित इस वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। अनुसूचित जाति विकास निगम

"काम के लिए अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत "ग्रामीण एकीकृत विकास" शीर्ष में 80 लाख रुपये की राशि का चिह्नांकन किया गया है। इस वित्तीय निवेश के साथ 60 लाख रुपये के अनाज की खपत "काम के लिए अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत होगी जिससे कम से कम 150 स्वास्थ्य उप-केन्द्रों तथा 50 पशु चिकित्सा औषधालयों तथा कुछ अन्य लाभदायक भवनों का निर्माण होगा। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि इस आवश्यक अधो:संरचना के निर्माण के लिए इतने बड़े स्तर पर निर्माण कार्य किया जाएगा। यहां यह कहना भी अनुचित न होगा कि गत योजनाओं में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोले तो निरन्तर जाते रहे हैं परन्तु उनके लिए भवनों का निर्माण नहीं किया गया। प्रदेश में इस समय केवल 7 ऐसे उप-केन्द्र हैं जिनके अपने भवन हैं। 150 स्वास्थ्य उप-केन्द्रों तथा 50 पशु चिकित्सा औषधालयों का निर्माण

इस सरकार ने प्रदेश की विरल जनसंख्या को चिकित्सा सुविधाएं उनके घरों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस कड़ी में आगामी वर्ष में 617 स्वास्थ्य उप-केन्द्र कार्य करना आरम्भ कर देंगे। हम एकदम 1,000 उप-केन्द्रों में कार्य आरम्भ नहीं करवा सकते क्योंकि इसके लिए प्रशिक्षित जन-शक्ति की आवश्यकता है जिसके लिए समय लगेगा (जोकि अभी प्रशिक्षणाधीन है)। फिर भी इन 1000 उप-केन्द्रों के लिए प्रति उप-केन्द्र 2000 रुपये की दवाइयों का प्रावधान किया गया है जब से ये उप-केन्द्र अपना कार्य आरम्भ कर देंगे। इन उप-केन्द्रों के लिए दवाइयां या तो निकटवर्ती उप-केन्द्र में रखी जाएंगी या फिर सम्बन्धित औषधालय अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में। 1000 स्वास्थ्य उप-केन्द्र

वर्ष 1979-80 की योजना में 6 नए कृषि-सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं चलाए जाने के लिए 7 लाख रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। 6 नए कृषि सेवा केन्द्र

पुस्तकालय गति विधि

"शिक्षा" शीर्ष के अन्तर्गत आगामी वर्ष में "पुस्तकालय आन्दोलन" आरम्भ करने के लिए 5 लाख रुपये का चिह्नांकन किया गया है। आशा है कि इस गतिविधि को आगामी वर्षों में और सुदृढ़ किया जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष

वर्ष 1979-80 को अन्तर-राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाया जाना घोषित हुआ है। बच्चों को लाभ पहुंचाने वाले विशेष कार्यक्रमों के सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन के लिए "समाज कल्याण" शीर्ष के अन्तर्गत 11 लाख रुपये का प्रावधान चिह्नांकित किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों के आवासों के लिए निवेश में पांच गुनी वृद्धि

चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी कर्मचारियों को आवास प्रदान करने के लिए 37 लाख रुपये व्यय होंगे। आगामी वर्ष से इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड को सम्मिलित करके हम अपनी पुरानी नीति से हट कर कार्य करेंगे जिसके माध्यम से आवास एवं नगर विकास निगम से 3 : 7 के अनुपात में ऋण उपलब्ध करवा के इस कार्यक्रम के परिव्यय को अनुपूरित किया जाएगा। यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रकार आगामी वर्ष में सरकारी कर्मचारियों के आवासों के निर्माण के लिए लगभग 165 लाख रुपये की राशि का निवेश होगा। यह 1978-79 के निवेश स्तर से लगभग पांच गुनी होगी।

पुलिस के लिए आवास

पांच वर्ष की अवधि के लिए पुलिस के आवासों के निर्माण के लिए 1.50 करोड़ रुपये का प्रावधान गैर-योजना क्षेत्र में किया गया है। पहली बार 30 लाख रुपये वर्ष 1979-80 में इस काम के लिए निवेशित किए जाएंगे। यह वर्ष 1978-79 में इस स्कीम पर केन्द्र प्रायोजित क्षेत्र में 9.58 लाख रुपये के प्रावधान के अतिरिक्त होगा।

राजस्व कर्मचारियों के आवास

हिमाचल प्रदेश के इतिहास में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि राजस्व कर्मचारियों (पटवारियों) के लिए कार्यालय-आवास सुविधा के निर्माण के लिए विशेष रूप से परिव्यय चिह्नांकित किए गए हैं। यह एक माना गया तथ्य है कि पटवारियों के लिए कार्यालय-आवास सुविधा का प्रावधान राजस्व प्रशासन की

आधारभूत आवश्यकता है। वर्ष 1979-80 के लिए इस कार्यक्रम के लिए "भूमि सुधार" शीर्ष के अन्तर्गत 13 लाख रुपये चिह्नांकित किए गए हैं।

नागरिक उड्डयन

यह प्रस्तावना है कि वर्ष 1979-80 में पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा द्वारा एक "अन्तर-राज्यीय नागरिक उड्डयन निगम" की स्थापना की जाएगी। हमने अपने प्रभाग पर हिस्सा-पूंजी निवेश के लिए 10 लाख रुपये का टोकन प्रावधान आगामी वर्ष में किया है। इससे कुल्लू को नियमित वायु-सेवा से जोड़ा जाएगा तथा प्रदेश में और नागरिक उड्डयन संभावनाओं का परीक्षण भी किया जाएगा।

प्रदेश व ज़िला मुख्यालयों के बीच सुधरी हुई संचार व्यवस्था

प्रशासन को सशक्त तथा सुथरा बनाने व संचार में समय कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश जैसे विस्तृत राज्य में ज़िलों तथा प्रदेश मुख्यालय के बीच सीधा सम्पर्क होना चाहिए। इस प्रयोजन से आगामी वर्ष में 9 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिससे ज़िला मुख्यालयों तथा प्रदेश मुख्यालय के बीच नियमित टेलैक्स/टैली-प्रिन्टर सुविधाओं की स्थापना की जाएगी।

लघु/कुटीर उद्योग

मैं माननीय सदस्यों के समक्ष यह पहले ही कह चुका हूं कि ग्रामीण व लघु उद्योगों के 1979-80 के परिव्यय में 1978-79 के मुकाबले में 19.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रदेश में लघु/कुटीर उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाने तथा इनके उत्पादों को आगामी विपणन के लिए क्रय करने हेतु उचित अधो:संरचना का निर्माण हो। वर्ष 1979-80 में यह प्रस्तावित किया गया है कि प्रदेश में 20 नए डिपो खोले जाएंगे जोकि कच्चे माल का आभरण एवं उत्पादों का आगामी विपणन के लिए क्रय करेंगे। इन केन्द्रों की स्थापना के अतिरिक्त प्रदेश की हस्त-कलाओं की विपणन क्षमता के विकास के लिए देश भर में इम्पोरियम खोले जाएंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के बाहर 6 नए इम्पोरियम खोले जाएंगे। पूर्व-स्थापित ज़िला औद्योगिक केन्द्रों की छत्र छाया में कुटीर एवं लघु उद्योगों के समेकित विकास के लिए आवश्यक सहायता एवं सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

काम-काजी महिलाओं के छात्रावास

चालू वित्तीय वर्ष में काम-काजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्मित किए जाने के लिए 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह प्रस्तावित है कि यह सुविधा शिमला, मण्डी व धर्मशाला में उपलब्ध करवाई जाएगी। इनके निर्माण एवं संगठन के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को दायित्व दिया गया है। वर्ष 1979-80 के लिए इस कार्य पर 2.50 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है जिसमें से 0.50 लाख रुपये राज्य क्षेत्र में तथा 2 लाख रुपये केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रावधित किए जाएंगे।

स्कूल भवनों के निर्माण के लिए उच्चतम प्रावधान

"शिक्षा" शीर्ष में 1979-80 के कुल परिव्यय में से एक करोड़ रुपये की राशि पूंजी कार्यों के लिए चिह्नांकित की गई है। इतनी राशि का प्रावधान पहली बार हुआ है। यह राशि भग्नावशेष इमारतों की मुरम्मत तथा नई इमारतों के निर्माण में लगाई जाएगी। इस वर्ष यह परिव्यय 36.92 लाख रुपये है।

स्वास्थ्य सेवा भवनों पर पूंजी कार्यों के लिए उच्चतम प्रावधान

"काम के लिए अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत 150 स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के निर्माण के अतिरिक्त राज्य अस्पताल, ज़िला अस्पतालों, उप-मण्डल अस्पतालों तथा दर्जा बढ़ाए गए अस्पतालों तथा अन्य भवनों के निर्माण इत्यादि के लिए आगामी वर्ष में लगभग 75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इतनी बड़ी राशि का प्रावधान इस से पूर्व कभी नहीं हुआ था। चालू वित्तीय वर्ष में यह परिव्यय केवल 46.86 लाख रुपये था।

शिमला नगर विकास प्राधिकरण

शिमला नगर का अनियोजित विकास हम सबके लिए एक चिन्ता का विषय है। शिमला नगर के सन्तुलित विकास के लिए आगामी वर्ष में 25 लाख रुपये की राशि चिह्नांकित की गई है जिससे "शिमला नगर विकास प्राधिकरण" स्थापित किया जाएगा।

बेरोज़गारी

बेरोज़गारी तथा अल्प-बेरोज़गारी को दूर करने का ध्येय हमारे देश में नियोजित विकास का एक मुख्य अंग रहा है। किन्हीं निहित कारणों से योजना निवेश को केवल आर्थिक वृद्धि दर से ही सम्बन्धित किया जाता रहा है। दुर्भाग्यवश, योजना निवेश तथा रोज़गार सृजन के बीच उचित ताल-मेल बैठाना न तो उपलब्ध हुआ है और न ही संभव हो पाया है। राष्ट्रीय

पांचवीं पंच-वर्षीय योजना की रूप-रेखा में भी यह अनुभव किया गया था परन्तु किन्हीं कारणों से इसे पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में न रखा गया। नई नियोजन प्रणाली अपनाए जाने के पश्चात् राष्ट्रीय स्तर पर कुछ शोधक तत्वों के लगाए जाने के माध्यम से इस समस्या के समाधान पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बार-बार अपने विचार व्यक्त किये हैं तथा यह जान कर उन्हें प्रसन्नता होगी कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने निम्न कार्यक्रमों को माध्यम बनाया है :—

(1) सफ़दा तथा मफाला जैसी कृषि एजेन्सी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की अधिकतर ग्रामीण जनसंख्या को लाभान्वित करना;

(2) विभिन्न विकास निगमों की स्थापना एवं उनको सशक्त करना;

(3) विस्तार, कच्चा माल आभरण एवं विपणन को उचित रूप से लघु व ग्रामीण उद्योगों तथा हथकरघा एवं हस्तकलाओं के विकास व विस्तार से नियोजित करके एकीकृत रूप-रेखा का अपनाना;

(4) "निम्नतम निर्धनता" के समाधान के लिए अन्त्योदय कार्यक्रम;

(5) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम; तथा

(6) योजना के अन्य सामान्य विकास कार्यक्रम।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 31-3-1978 को बेरोज़गारों की संख्या लगभग 70,000 है। हमारी श्रम-शक्ति में अनुमानतः 2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होती है। इस प्रकार 1978—88 की अवधि में श्रम-शक्ति में लगभग 3.60 लाख व्यक्तियों की वृद्धि होगी। अतः हमें अपने सारे कार्यक्रम 4.30 लाख अधिक रोज़गार अवसर सृजित करने की ओर नियोजित करने होंगे तथा प्रति वर्ष लगभग 43,000 अतिरिक्त रोजगार सृजित करके इस समस्या का समाधान 10 वर्ष की अवधि में करना होगा। इस संदर्भ में मैं समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम तथा सफ़दा जैसे सजातीय

कार्यक्रमों के माध्यम से आगामी वर्ष में लगभग 16,000 परिवारों के लिए पूर्ण रोज़गार अवसरों का सृजन होगा। वार्षिक योजना 1979-80 के कार्यक्रमों के माध्यम से भी अनुमानित 15,000 व्यक्ति-वर्षों के रोजगार का सृजन होगा। इस कार्यक्रम के उचित अनुसरण के लिए हमारी सरकार 18 विकास खण्डों में विकेन्द्रीकृत नियोजन करवाएगी जिसके लिए प्रति विकास खण्ड 60,000 रुपये का विशेष प्रावधान सर्वेक्षण इत्यादि के कार्यों के लिए किया गया है।

संशोधित न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम

राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम को पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 1978-83 की योजना में इस कार्यक्रम के लक्ष्यों इत्यादि में संशोधन करके इसे "संशोधित न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम" का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य ध्येय हमारे समाज के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसमें प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण सड़कें, पोषण, भूमिहीनों के लिए गृह-स्थानों का प्रावधान तथा ग्रामीण आवास एवं शहरी गन्दी बस्तियों में पर्यावरण की स्वच्छता लाना सम्मिलित हैं। राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता का ज्ञान इसी तथ्य से हो सकता है कि चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत प्रावधान 1193.25 लाख रुपये को बढ़ाकर 1214.74 लाख रुपये कर दिया गया है तथा आगामी वर्ष के लिए यह प्रावधान 1268 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया है। इस 1268 लाख रुपये के प्रावधान में से 60 लाख रुपये ग्रामीण विद्युतीकरण पर, 522 लाख रुपये ग्रामीण सड़कों पर, 140 लाख रुपये प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा पर, 450 लाख रुपये ग्रामीण जल प्रदाय पर, 8 लाख रुपये भूमिहीनों को गृह स्थान देने पर, 5 लाख रुपये शहरी गन्दी बस्तियों के सुधार पर तथा 33 लाख रुपये पोषण कार्यक्रम पर व्यय होंगे।

पिछड़े हुए क्षेत्र

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1979-80 में पिछड़े क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम की रूप-रेखा में कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जल प्रदाय कार्यक्रमों के अतिरिक्त ग्रामीण एवं लघु उद्योगों इत्यादि के विकास पर अधिक महत्व

देना है। अन्तर-क्षेत्रीय विषमताओं के चिह्नांकन एवं समीक्षा के लिए सरकार ने यह उचित समझा है कि सचिवों की एक उच्च-स्तरीय समिति गठित हो जो कि इन क्षेत्रों के विकास की उचित विधि पर भी सुझाव देगी। राज्य सरकार न नियम रूप में यह निर्णय लिया है कि कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण जल-प्रदाय शीर्षों में सकल परिव्यय का 10 प्रतिशत भाग पिछड़े क्षेत्रों में निवेश के लिए चिह्नांकित किया जाएगा।

इन विकास शीर्षों में वर्ष 1979-80 के लिए 148.09 लाख रुपये पिछड़े क्षेत्रों के लिए चिह्नांकित किए गए हैं।

जन-जातीय क्षेत्र

माननीय सदस्यों को यह तो ज्ञात ही है कि जन-जातीय क्षेत्रों के तीव्र विकास का कार्य पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में ऐसे क्षेत्रों के चिह्नांकन से आरम्भ किया गया था जिनमें अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या की घनता 50 प्रतिशत से अधिक हो। वर्ष 1978-79 की 73 करोड़ रुपये की सकल योजना में से जन-जातीय उप-योजना के लिए 590 35 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 130 लाख रुपये की राशि भी निवेश के लिए उप-लब्ध हुई थी। वर्ष 1979-80 के लिए जन-जातीय उपयोजना में राज्य प्रभाग लगभग 782.30 लाख रुपये होगा।

वित्तीय प्रसाधनों का समा-योजन

जैसा कि मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूं कि 1978-79 के स्वीकृत परिव्यय 73 करोड़ रुपये में से 15.46 करोड़ रुपये के कार्यक्रम उपार्पित देयता में परिवर्तित कर दिए गए हैं। आगामी वर्ष, 1979-80 के लिए परिव्यय 57.54 करोड़ से बढ़ाकर फिर 73 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार वर्ष, 1979-80 के लिए 15.46 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी के लिये योजना आयोग ने राज्य सरकार को अपने वित्तीय प्रसाधनों में 4 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी के लिए कहा है। केन्द्र सरकार ने भी अपने प्रभाग पर 1978-79 की 58.05 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के मुकाबले में 1979-80 के लिए 63.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की है। अतः वर्ष, 1979-80 के विकास परिव्ययों के वित्तीय निवेश के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम योजना आयोग

के आदेशानुसार 4 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय प्रसाधनों का समायोजन करें । यदि हमें जनता की न्यूनतम आकांक्षाओं को पूरा करना है तो हमें अधिकाधिक विकास परिव्ययों की आवश्यकता होगी जो कि अतिरिक्त वित्तीय प्रसाधनों के समायोजन के अरुचिकर कार्य के बिना संभव नहीं हो सकता ।

नए कराधान के निर्धारण में राज्य सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि अतिरिक्त कर भार ऐसे लोगों पर पड़े जोकि उसे सहन करने में सक्षम हों। आगामी वित्तीय वर्ष के आरम्भ से निम्न नए कराधान के माध्यम से 369 लाख रुपये के अतिरिक्त प्रसाधनों के संजोए जाने का प्रस्ताव है।

1. इमारती लकड़ी पर बिक्री कर के दरों में वृद्धि :

यह प्रस्तावना है कि वर्तमान दरों को बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाए । इस से अनुमानित 150 लाख रुपयों की अतिरिक्त आय प्रतिवर्ष होने का अनुमान है ।

2. मोटर स्पिरिट की बिक्री कर के दरों में वृद्धि :

यह प्रस्तावित किया जाता है कि मोटर स्पिरिट की बिक्री पर कर को बढ़ाकर 15 पैसे प्रति लिटर कर दिया जाए । इससे यह अनुमानित है कि प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये की अतिरिक्त आय होगी ।

3. मोटर गाड़ियों पर कर के दरों में वृद्धि :

यह प्रस्तावना की जाती है कि मोटर गाड़ियों पर कर की दरों को पंजाब में विद्यमान दरों की स्तर पर लाया जाए । मोटर-साईकलों तथा स्कूटरों पर दरों में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं है । इसके अतिरिक्त स्टेज कैरिज के दर 200 रुपये प्रति सीट होंगे तथा इसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये होगी । इस उपाय से यह अनुमानित है कि प्रति वर्ष 47 लाख रुपये की अतिरिक्त आय होगी ।

4. बिजली के शुल्क दरों में वृद्धि:

यह प्रस्तावित किया जाता है कि बिजली के वर्तमान शुल्क दरों को दुगना कर दिया जाए। यह दरें उन उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होंगी जिनकी खपत 15 यूनिट तक होगी। इस उपाय से प्रतिवर्ष 34 लाख रुपये की अतिरिक्त आय होगी।

5. बिक्री कर पर अधिभार की उगाही:

यह प्रस्तावित किया जाता है कि बिक्री कर पर 10 प्रतिशत सरचार्ज (अधिभार) की उगाही की जाएगी। इस से अनुमानित 80 लाख रुपये की अतिरिक्त आय प्रति वर्ष होगी।

6. शराब क बिक्री कर दरों में वृद्धि:

यह प्रस्तावित किया जाता है कि शराब पर वर्तमान 20 प्रतिशत के बिक्री कर को बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया जाए। इस के माध्यम से प्रति वर्ष 25 लाख रुपये की अतिरिक्त आय होगी।

7. होटलों तथा आवास गृहों में उपलब्ध सुविधाओं पर कर:

यह प्रस्तावित किया जाता है कि होटलों तथा आवास गृहों में दी जाने वाली सुविधाओं (Luxuries) पर कर उगाहा जाए। इसके माध्यम से यह अनुमानित है कि 8 लाख रुपये की अतिरिक्त आय प्रति वर्ष होगी।

अतिरिक्त वित्तीय प्रसाधनों के संयोजन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1979-80 के लिए अन्तिम वित्तीय स्थिति निम्न बनती हैं:

मद	(लाख रुपयों में)
1. प्रारम्भिक बकाया	(—)999.00
2. राजस्व लेखा प्राप्तियां	17833.16
व्यय	14414.55
अतिरेक	3418.61

3. पूंजी व्यय (निवल)	3704.27
4. लोक ऋण	
लिए गए ऋण	3140.50
वापसियां	1592.00
अतिरेक	1548.50
5. ऋण एवं अग्रिम राशियां	
अग्रिम राशियां	1583.64
उगाहियां	145.90
घाट	1437.74
6. भविष्य निधि—(निवल)	365.00
7. जमा, अग्रिम राशियां एवं अदायगियां (निवल)	(—) 210.00
8. अन्तिम बकाया	(—) 1019.00

यह प्रस्तावित है कि वर्ष 1979-80 का अन्तिम घाटा जोकि 1019 लाख रुपये है, को प्रसाधनों के प्रबन्ध के अन्य तरीकों से 20 लाख रुपये कम किया जाएगा ताकि वर्ष 1979-80 के अन्तिम बकाए का स्तर वही रहे जोकि वर्ष 1979-80 के प्रारम्भिक बकाए का था, अथवा 999 लाख रुपये ।

उपरोक्त बातों जिनका विवरण मैंने दिया है, को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी ओर से न्यूनतम संभव प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं । उन संवर्धित विकास कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने हैं, मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी सरकार को माननीय सदन का प्रस्तावित अतिरिक्त वित्तीय साधनों के संयोजन के प्रयास में सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा ।

वर्ष 1979-80 में विभिन्न कृषि कार्यक्रमों के लिए 2.44 करोड़ रुपये का कुल योजना परिव्यय रखा गया है। लघु तथा सीमान्त किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से छः जिलों को सफदा कार्यक्रम के अधीन लाया गया है। हम अधिक क्षेत्रों को मुख्य अनाजों की अधिक उपजाऊ किस्मों के अधीन लाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार सुधरी हुई किस्मों के सम्बन्ध में 2,70,000 हैक्टेयर क्षेत्र को गेहूं, 78,000 हैक्टेयर क्षेत्र को धान तथा 70,000 हैक्टेयर क्षेत्र को मक्की के अधीन लाने की योजना पर कार्य कर रही है। वर्ष 1979-80 में सरकार 10,000 मीट्रिक टन नाइट्रोजन, 2,500 मीट्रिक टन फासफोरस तथा 2,500 मीट्रिक टन पोटाश खादों की खपत का उद्देश्य रखती है। लघु तथा सीमान्त किसानों को 25 प्रतिशत से $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक अनुदान सहायता देकर फासफोरस तथा पोटाश खादों की खपत को प्रोत्साहित किया जाएगा। कम्पोस्ट खाद तैयार करने तथा हरी खाद के तकनीकों को अपनाने की दिशा में भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। पौध रक्षा के लिए वर्ष 1979-80 में 40,500 हैक्टेयर खाद्यान्न फसलों का तथा 61,000 हैक्टेयर नकदी फसलों का लक्ष्य प्रस्तावित है। वर्ष 1979-80 में आलुओं के उत्पादन को 1.15 लाख टन तक तथा सूखे अदरक को 1,500 मीट्रिक टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। किसानों को लाभकारी मूल्य निर्धारित कराने के लिए मंडियों को विनियमित किया जा रहा है। नालागढ़, पौंटा साहिब तथा शिमला के अतिरिक्त कुल्लू तथा कन्दरोड़ी की मंडियों को विनियमित कर दिया गया है। आगामी वर्ष में राज्य में दो और मंडियों को विनियमित किया जाना प्रस्तावित है। कृषि

प्रदश म एक गोदाम निगम की स्थापना के लिए भी उचित प्रावधान किया गया है ताकि इस सम्बन्ध में भण्डार गोदामों की अधो: संरचना के निर्माण के लिए और अधिक धन केन्द्र से प्राप्त किया जा सके। राज्य गोदाम निगम

प्रत्यक्ष रूप से योजना के अधीन कृषि कार्यक्रमों के लिए 2.44 करोड़ रुपये का परिव्यय पिछले वर्ष के 2.56 करोड़ रुपय के स्वीकृत परिव्यय की तुलना में कम लगता है।

परन्तु वास्तव में वर्ष 1979-80 के लिए विकास सम्बन्धी कुल परिव्यय 4.04 करोड़ रुपये बनता है जिसमें 1.60 करोड़ रुपये की लागत के वर्ष 1978-79 में चालू किए गए कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं जो अब 1979-80 के लिए अ-योजना क्षेत्र में बदल दिए जाएंगे। इस प्रकार वर्ष 1979-80 के लिए कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों पर विकास परिव्यय में 1978-79 के मुकाबले में 57.8 प्रतिशत की वृद्ध होगी।

भू-संरक्षण

हमारे जैसे पहाड़ी राज्य में पारिस्थिक (Ecological) संतुलन बनाए रखने के लिए भू-संरक्षण एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कृषि तथा वन दोनों इसे कार्यन्वित करेंगे जिसमें कृषि भूमि संरक्षण का दायित्व कृषि विभाग का तथा वन भूमि संरक्षण का दायित्व वन विभाग का है। वर्ष 1979-80 में कृषि विभाग नदी घाटी परियोजना के अधीन लगभग 800 हैक्टेयर के अतिरिक्त 2,000 हैक्टेयर क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा। वन विभाग 1,924 हैक्टेयर क्षेत्र राज्य योजनाओं के अधीन तथा 9,011 हैक्टेयर क्षेत्र केन्द्रीय योजनाओं के अधीन इस कार्यक्रम में लाएगा। वर्ष 1978-79 में भू-संरक्षण कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय 117 लाख रुपये था। इसके मुकाबले में, 1979-80 के लिए भू-संरक्षण कार्यक्रमों हेतु पांचवीं योजना के कार्यक्रमों से सम्बद्ध उपार्पित देयता सहित कुल विकास सम्बन्धी परिव्यय 164 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त 10.00 लाख रुपये की अन्य राशि "काम के लिए अनाज" कार्यक्रम के अधीन व्यय की जाएगी। इस प्रकार इस क्षेत्र में 1979-80 के लिए कुल निवेश 174 लाख रुपये होगा जो गत वर्ष के मुकाबले में 48.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

बागवानी

हिमाचल प्रदेश का काफी बड़ा क्षेत्र बागबानी के अधीन है। हिमाचल प्रदेश को ठीक ही सेबों का राज्य कहा जाता है। आशा है कि वर्ष 1979-80 में फलोत्पादन 3.29 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। इतना उत्पादन आज तक कभी नहीं हुआ है। खाद, कीटनाशक दवाई तथा पौध सामग्री आदि उत्पादन आदाओं (Inputs) के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत

लघु तथा सीमान्त सेब उत्पादकों तथा विशेषतया हाल ही में बाढ़ों से प्रभावित सेब उत्पादकों की सहायता के लिए 50 लाख रु० की राशि खर्च की जायेगी। चालू वर्ष के अन्त तक बागवानी के अधीन क्षत्र 79,900 हैक्टेयर तक पहुंच जायेगा तथा आगामी वर्ष में 4,000 हैक्टेयर क्षेत्र की और वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। पेबन्द लगाने का कार्यक्रम तथा पौध संरक्षण उपाय चालू रखे जाएंगे। इस सरकार को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि "एपल स्केब" नामक बहुत घातक बीमारी पर पूर्णतया काबू पा लिया गया है, यद्यपि इससे पड़ोसी राज्य में बहुत अधिक हानि हुई है। इसके लिए रियायती दरों पर कीटनाशक दवाईयां दी गई तथा 3,000 हैक्टयर क्षेत्र को रोगनिरोधक तथा रोगनाशक उपायों के अधीन लाया गया है। जैतून, अंजीर, पिस्ते, खुम्बें इत्यादि नई फसलों के विकास के लिए प्रयास जारी हैं। खुम्बों के विकास के लिए 60 लाख रुपये की यू० एन० डी० पी० परियोजना प्रारम्भ करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सोलन में अधिक कम्पोस्ट निर्माण तथा पास्चुराईजेशन यूनिट की स्थापना की जा रही है।

माननीय सदस्य यह तो जानते ही है कि राज्य सरकार इस राज्य में फलों के विधायन तथा विपणन की अधो:संरचना स्थापित करने के लिए विश्व बैंक की सहायता द्वारा एक परियोजना कार्यान्वित कर रही है। फलों की पैंकिग तथा ग्रेडिंग के लिए भून्तर, कोटगढ़, कोटखाई, रोहड़ू तथा ओडी में पैंकिग तथा ग्रेडिंग गृहों एवं टूटूपानी, राजगढ़ चिन्दी और चैलचौक में ग्रेडिंग गृहों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1978-79 के दौरान नगरोटा तथा बिलासपुर में दो विभागीय डिब्बाबन्दी केन्द्र चालू किए गए हैं। परवाणू में डिब्बाबन्दी कारखान की स्थापना के लिए प्रारम्भिक कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा यह कारखाना लगभग 10,000 मीट्रिक टन फलों का विधायन करेगा और इसे वर्तमान वर्ष में चालू किए जाने की संभावना है ।

वर्ष 1978-79 मे बागवानी कार्यक्रमों के लिए कुल स्वीकृत परिव्यय 2.51 करोड़ रुपए था। इस में से 0.72 करोड़ रुपयों के कार्यक्रम वर्ष 1979-80 के दौरान जारी रहेंगे, तथा इन्हें अ-योजना

G2191

से निवेश मिलेगा इसके अतिरिक्त वर्ष 1979-80 के लिए योजना परिव्यय 2.10 करोड़ रुपये है। इससे बागवानी कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1979-80 का विकास-परिव्यय 2.82 करोड़ रुपये होगा। यह वर्ष 1978-79 की तुलना में 12.4 प्रतिशत अधिक होगा।

पशुपालन तथा दुग्ध उद्योग

कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था में पशुपालन विकास एक महत्वपूर्ण अंग है। पशु चिकित्सा सहायता के अतिरिक्त पशु विकास हेतू 300 से अधिक संस्थाओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा तथा 43 संस्थाओं में प्राकृतिक प्रजनन सुविधा की योजनाएं आरम्भ की गई हैं। वर्ष 1979-80 में इन सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा। भेड़ों के विकास हेतु सुधरी नस्ल के 207 मेंढ़े भेड़ पालकों को बेचे गए थे। चालू वर्ष के दौरान चम्बा में सघन भेड़ तथा ऊन विकास परियोजना प्रारम्भ की गई है। इस समय प्रदेश में 14 मुर्गी पालन केन्द्र हैं जहां से 48,000 मुर्गियां आदि तथा 4,000 अण्डे प्रजनन के लिए उपलब्ध कराए गए। इसके अतिरिक्त 3.16 लाख अण्डे तथा 23 हजार मुर्गियां इत्यादि भोजन क लिए बेचे गए। मण्डी, नाहन, शिमला तथा कांगड़ा जिलों में दुग्ध वितरण योजनाएं चालू रहीं तथा इस वर्ष में इसी प्रकार की एक योजना चम्बा में आरम्भ की गई है। इन योजनाओं के अधीन 40.50 लाख लीटर दूध इक्ट्ठा किया गया तथा दूध उत्पादकों को 75 लाख रुपयों का भुगतान किया गया।

1978-79 के लिए पशुपालन तथा दुग्ध विकास कार्यक्रम का स्वीकृत परिव्यय 1.87 करोड़ रुपये था। वर्ष 1979-80 में इस क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के लिए कुल निवेश 3.06 करोड़ रुपये रखा गया है जिसमें 1.31 करोड़ रुपये के अ-योजना में परिवर्तित कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं। यह 3.06 करोड़ रुपयों का विकास परिव्यय 1978-79 की तुलना में 63.6 प्रतिशत अधिक है।

वन

इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अतः उनका वैज्ञानिक ढंग से उपयोग आवश्यक है। यदि वृक्षों

को काटा जाना है तो इसका परीक्षण भी अनिवार्य है कि वृक्षारोपण के अधीन क्षेत्र का समुचित विस्तार हो। वनों के अधीन 21,763 वर्ग कि० मी० क्षेत्र है जोकि प्रदेश के कुल क्षेत्र का 39.1 प्रतिशत है। चालू वर्ष में 21,715 हैक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक महत्व की इमारती लकड़ी की उपजाति की सघन वन खेती की जानी सम्भावित है। इसके अतिरिक्त 1979-80 में 5,931 हैक्टेयर क्षेत्र में अन्य प्रकार के वृक्ष लगाए जाने प्रस्तावित हैं। दश में लुगदी तथा कागज उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1978-79 में 5,310 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए 70.85 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है जबकि वर्ष 1979-80 के दौरान 5,103 हैक्टेयर क्षेत्र इसके अधीन लाया जाएगा। इसी प्रकार गांवों में खेती के लिए ऊसर भूमि में और रास्तों के किनारों तथा खेतों की मेंड़ों पर जलाने की लकड़ी की वृद्धि के लिए 4,937 हैक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण करने की सम्भावना है। आगामी वर्ष में 200 हैक्टेयर क्षेत्र में चिलगोजा के पेड़ लगाए जाएंगे।

वर्ष 1978-79 के लिए 4.60 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय की तुलना में वर्ष 1979-80 में वन विकास के विविध कार्यक्रमों के लिए 5.28 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है जिसमें उपार्पित देयता भी सम्मिलित है। "काम के लिए अनाज" कार्यक्रम पर भी .65 लाख रुपये खर्च किये जाएेंगे। इस प्रकार वर्ष 1979-80 के लिए इस क्षेत्र पर कुल निवेश 5.93 करोड़ रुपये होगा जोकि पिछले वर्ष के 4.60 करोड़ रुपए से 28.9 प्रतिशत अधिक है।

वन्य प्राणी

यह प्रदेश जानवरों, पक्षियों तथा आखेट सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1978-79 में शरण्य स्थानों के सुधार तथा आखेट खण्डों के विकास के लिए प्रभावशाली कदम उठाए गये थे ताकि उन पशु-पक्षियों को सुरक्षा मिल सकें जो प्राय: समाप्त हो रहे हैं। हिमालय क्षेत्र के पशु-पक्षियों के प्रदर्शन हेतु शिमला में एक अधिक ऊंचाई वाले प्राणी विज्ञान पार्क की स्थापना के अतिरिक्त कुल्लू ज़िला की सोलंग घाटी तथा सिरमौर ज़िला के रेणुका क्षेत्र में शरण्य विकास कार्य चलता रहा। मनाली में राष्ट्रीय

प्राणी विज्ञान पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। कुफरी के कस्तूरी मृग प्रजनन फार्म के विस्तार के साथ-साथ किन्नौर ज़िला के सांगला में एक अन्य फार्म स्थापित किया जाएगा।

मछली पालन

प्रदेश में मछली पालन के विभिन्न पहलुओं के समन्वित विकास के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित की गई स्कीमों को चालू वर्ष में जारी रखा गया। जलाशयों में मछली पकड़ने की अनुमति अब केवल सहकारी क्षेत्र में ही दी जाती है। पांच प्राथमिक मछुआ-सहकारी समितियां गोबिन्द सागर जलाशय के लिए तथा पांच ऐसी ही समितियां पोंग डैम जलाशय के लिए संगठित की गई हैं। ये इन जलाशयों से पकड़ी गई मछलियों का विपणन कार्य भी सम्भाल रही हैं।

वर्ष 1978-79 के लिए मछली पालन शीर्ष के अधीन स्वीकृत परिव्यय 16 लाख रुपए था। वर्ष 1979-80 के लिए विकास सम्बन्धी परिव्यय 18.44 लाख रुपए प्रस्तावित किया गया है जो गत वर्ष से 15.3 प्रतिशत अधिक है।

सहकारिता

प्रदेश में 3,588 सहकारी समितियां हैं जिनमें से 2,349 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं जिनके अन्तर्गत प्रदेश के सारे गांव आते हैं। वर्ष 1978-79 में इन समितियों द्वारा 850 लाख रुपए के ऋण दिए जाने की सम्भावना है। जहां तक लम्बी अवधि के ऋणों का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक तथा कांगड़ा प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक द्वारा 80 लाख रुपए के ऋण दिए जाने की सम्भावना है, ये समितियां आलू, अदरक, सेब, चाय तथा कुठ जैसी नकदी फसलों का विपणन में सहायता भी करती हैं। वर्ष 1978-79 में इन समितियों द्वारा लगभग 5.50 करोड़ रुपए के उत्पादन का विपणन करने का अनुमान है। ये समितियां अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं तथा बीजों और खादों जैसी कृषि सामग्री के वितरण में भी सहायता करती हैं।

आपरेशन फ्लड-II

सरकार ने आपरेशन फ्लड II कार्यक्रम को भी सहकारी क्षेत्र में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम का मुख्य

उद्देश्य पशुओं तथा डेरी फार्म का एकीकृत विकास है ताकि समस्त राज्य में कम से कम 1.87 लाख दूध विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया जा सके।

खाद्य एवं आपूर्ति

सहकारी सभाओं का जाल हमें एक ऐसी अधो:संरचना प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण प्रदेश के दूरस्थ स्थानों तक परचून विक्रेताओं के द्वारा कर सकते हैं। प्रथम जुलाई, 1979 से हम बहुत सी अनिवार्य वस्तुओं को सारे देश में एक समान मूल्यों पर वितरण के लिए केन्द्रीय स्कीम में भी भाग लेना आरम्भ कर देंगे।

पेय जल आपूर्ति

हमने राज्य में पेयजल स्कीमों की व्यवस्था को सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में प्रथम प्राथमिकता दी है। वर्ष 1977-78 में 500 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई तथा वर्ष 1978-79 में 1,200 गांवों में यह सुविधा प्रदान की जाएगी। वर्ष 1976-77 में 154 लाख रुपये के प्रावधान की तुलना में चालू वर्ष में 486 लाख रुपये राज्य क्षेत्र में और 335 लाख रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में खर्च किये गये। आगामी वर्ष के लिये केवल राज्य क्षेत्र में ही 575 लाख रुपये का प्रावधान है जोकि पिछले वर्ष के 486 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय से 18.36 प्रतिशत अधिक है।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य रक्षा के लिए साफ पीने का पानी प्रथम आवश्यकता है परन्तु यह अपने में पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम को विभिन्न चरणों के आधार पर स्थापित करके नई दिशा देने का प्रयास किया है। निम्नतम इकाई प्रस्तावित 1,000 स्वास्थ्य उप-कन्द्रों की स्थापना है जिस की सहायता के लिये 401 औषधालय हैं जिनका प्रबन्ध 77 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा होगा। ये स्वास्थ्य सुविधाएं आवश्यक उपकरणों, दर्जा बढ़ाये गये ग्रामीण अस्पतालों तथा उपमण्डल अस्पतालों के रूप में दी गई सुविधाओं द्वारा समर्थ बनाई गई हैं। इस व्यवस्था का अगला चरण जिला अस्पताल तथा अन्तिम शिमला का राज्य अस्पताल है। इस स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ बनाने में दवाइयों व खुराक दोनों के लिये समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है। माननीय सदस्य यह जान कर प्रसन्न होंगे कि हमने दवाईयों की

व्यवस्था दुगनी कर दी है तथा खुराक की व्यवस्था को लगभग चार गुणा बढ़ा दिया गया है। दवाईयों की कुल राशि वर्ष 1978-79 में 71 लाख रुपये से बढ़ाकर वर्ष 1979–80 के लिये 145 लाख रुपये कर दी गई है । खुराक के लिये 17.20 लाख रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 64.22 लाख रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक रोगी को एक अण्डा या एक दूध का गिलास मिलेगा।

वर्ष 1978–79 के लिये स्वास्थ्य तथा चिकित्सा कार्यक्रमों पर कुल परिव्यय 176 लाख रुपये था (एलौपेथी के लिये 115.25 लाख रुपये, आयुर्वेद के लिये 15.75 लाख रुपये तथा मैडिकल कालेज के लिये 45 लाख रुपये)। वर्ष 1979-80 के लिये इन शीर्षों में योजना परिव्यय 146.50 लाख रुपये रखा गया है जिसके अतिरिक्त विकास कार्यक्रमों पर 113.06 लाख रुपये का परिव्यय अ-योजना से निवेशित किया जाएगा। इससे 1979-80 के लिये विभिन्न स्वास्थ्य-कार्यक्रमों पर विकास परिव्यय 259.56 लाख रुपये हो जाता है जो पिछले वर्ष के परिव्यय से 47.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस में गैर योजना के अन्तर्गत 209.22 लाख रुपये का दवाईयों व खुराक के लिये बढ़ाया गया प्रावधान सम्मिलित नहीं है।

सड़क

सड़कें राज्य की जीवन रेखाएं हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कों के बिना कोई प्रगति सम्भव नहीं है। 1978-79 में 1440 लाख रुपये की राशि के व्यय की सम्भावना है और आशा है कि 1978-79 तक प्रदेश में 11,373 किलोमीटर मोटर योग्य सड़क, 695 कि० मी० जीप योग्य सड़कें तथा 411 किलोमीटर पगडण्डियां होंगी। पक्की सड़कों की लम्बाई 3,891 कि० मी० हो जाएगी तथा मोटर योग्य सड़कों की घनता अब 20.94 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर हो जाएगी। वर्ष 1979-80 में वर्तमान अधो: संरचना में 245 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें और बनाई जानी सम्भावित है। नौ पुलों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा वर्ष के अन्त तक अन्य 35 पुलों का कार्य भी पूरा हो जाएगा।

1978-79 के लिये सड़क निर्माण कार्य के लिये 14.40 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में 1979-80 के लिये इस कार्य पर कुल विकास परिव्यय 16.07 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है (14.40 करोड़ रुपये योजना से तथा 1.67 करोड़ रुपये अ-योजना से) । इन प्रावधानों के अतिरिक्त 1.36 करोड़ रुपये की राशि इस क्षेत्र में "काम के लिए अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाएगी । अतः 1979-80 में सड़कों के लिये कुल विकास निवेश 17.43 करोड़ रुपये बनता है जो 1978-79 के परिव्यय से 21.0 प्रतिशत अधिक है । भवन निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत 52 आवासीय तथा 55 अन्य भवन तैयार किये गये । इनके इलावा 113 आवासीय व 130 अन्य भवनों की इस वर्ष में तैयार हो जाने की सम्भावना है ।

परिवहन

पहाड़ी क्षेत्र में सड़क परिवहन अर्थ व्यवस्था का सार है । चालू वर्ष में 33 मार्गों में नई बस सेवाएं आरम्भ की गई जबकि 81 मार्गों को बढ़ाया या परिवर्तित किया गया । परिवहन निगम इस समय राज्य के बाहर व भीतर लगभग 550 मार्गों पर लगभग 3.35 करोड़ यात्रियों को प्रतिवर्ष बस सेवा उपलब्ध करा रहा है । निगम अब 1978-79 में 180 और बसें तथा दो टैक्सियां खरीद कर अपने फ्लीट को बढ़ाएगा । प्रति कि० मी० आय 2.24 रुपये से बढ़कर 2.45 रुपये हो गई है, जबकि विद्यार्थियों को मासिक पासों पर 24 एक-तरफा के किरायों से कम करके 10 एक-तरफा किराये की रियायत कर दी गई है। आगामी वर्ष में फ्लीट को और भी सशक्त बनाया जाएगा ।

पर्यटन

प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण अच्छा होने के कारण यहां पर्यटन क्षमता बहुत अधिक है जिसका उचित विकास पर्याप्त धन राशि के अभाव में नहीं हो पाया है । फिर भी पर्यटकों के लिये आवास, भोजन व परिवहन की पर्याप्त सुविधाओं का विस्तार किया गया है । वर्ष 1979-80 में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिये 50 लाख रुपये का प्रावधान दिया जाएगा ।

बड़े उद्योग तथा खनिज

पर्यटन क्षेत्र में प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग बनने की क्षमता के अतिरिक्त हमारे यहां खनिजों के भी दीर्घ भंडार हैं जिनमें मुख्य चूने का पत्थर है। इस खनिज पर सीमेन्ट जैसे मौलिक उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। राजबन का सीमेंन्ट कारखाना अब समापन की ओर अग्रसर है तथा बिलासपुर के सीमेन्ट कारखाने की स्थापना भी आरम्भ की जा चुकी है। कांगड़ा में लघु सीमन्ट कारखाने लगाने के लिए निविदाएं मांगी जा चुकी हैं तथा चम्बा में सीमेन्ट कारखाना स्थापित करने के लिए अन्वेषण/संभावना रिपोर्ट तयार की जा रही हैं।

आवास

आवास बोर्ड द्वारा अभी तक शिमला, परवाणू, ऊना, हमीरपुर तथा नाहन आदि विभिन्न स्थानों में 7,000 मकानों का निर्माण किया गया है।

सोलन, धर्मशाला तथा संजौली (शिमला) में आवास कालोनी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पालमपुर में नई आवास कालोनी का कार्य अभी हाथ में लिया गया है। आगामी वर्ष में बिलासपुर, मण्डी, चम्बा तथा कुल्लू में आवास कालोनियों का कार्य आरम्भ करना प्रस्तावित किया गया है। 2.36 करोड़ रुपये की कुल लागत से परवाणु में सैक्टर 4 के लिये एक नई स्कीम आवास एवं नगर विकास निगम से अनुमोदित कराई गई है।

विद्युत

माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि इस राज्य में पन-बिजली की विशाल क्षमता है जोकि 9000 मैगावाट अनुमानित है। 1979-80 में विद्युत विकास कार्यों के लिये 1850 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जोकि वर्ष की कुल राज्य योजना का 25.34 प्रतिशत है।

ज़िला सिरमौर में 60 मैगावाट की गिरी हाईडल परियोजना अप्रैल, 1978 में चालू की गई है। इससे वर्ष में 28.90 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी जिससे लगभग 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। किन्नौर जिला का रुकती पावर हाऊस भी 1979 में व्यावसायिक उत्पादन के लिये चालू हो जाएगा। सरकार थीन बान्ध पर पंजाब सरकार से समझौता करने में सफल

हुई है। पहली बार मुफ्त बिजली का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है। बिना किसी निवेश के हिमाचल प्रदेश को थीन बान्ध में उत्पादित विद्युत का 4.6 प्रतिशत भाग मुफत मिलेगा। यह बिजली, यदि आवश्यक हो, 8.25 लाख रुपये की वार्षिक नकद प्रतिपूर्ति पर पंजाब को बेची जा सकती है। बिजली की दरों का पांच वर्ष के बाद फिर निरीक्षण किया जाएगा।

1978-79 में शिमला जिला की रोहड़ू तहसील में 15 मैगावाट की आंध्रा हाईडल परियोजना को आरम्भ किया गया है तथा भू-अर्जन, भू-विकास, सड़कें, भवनों आदि जैसे कार्य आरम्भ कर दिये गये हैं। 1978-79 में भाबा हाईडल परियोजना (120 मैगावाट) से सम्बद्ध आधारभूत कार्य जसे सड़क, भवन, भू-विकास, निर्माण आदि भी जारी रहे तथा बिनवा (6 मगावाट) में सड़क निर्माण, सुरंगें बनाने व खुदाई का कार्य आरम्भ किया गया है। बस्सी औगमैंटशन (15 मैगावाट) में पैन-स्टाक बनाने का कार्य आरम्भ किया गया है तथा रौंगटोंग परियोजना में विद्युत नहर में बैंच कटिंग, लाईनिंग, भण्डारण टैंक खुदाई व भवनों का कार्य जारी रहा।

नाथपा-झाकड़ी हाईडल परियोजना (1020 मैगावाट) कोल बान्ध (600 मैगावाट), ददाहु बान्ध (100 मैगावाट), लारजी परियोजना (140 मैगावाट) जैसी स्कीमों पर अन्वेषण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और नाथपा-झाकड़ी परियोजना तथा कोल बान्ध की योजना रिपोर्ट पहले ही भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। राज्य की हाईडल क्षमता को उपयोग में लाने के लिये एक चरणवद्ध कार्यक्रम बनाने की दृष्टि से बास्पा हाईडल परियोजना (400 मैगावाट), जिस्पा हाईडल परियोजना (225 मैगावाट), पारबती हाईडल परियोजना (1900 मैगावाट) मलाना हाईडल परियोजना (50 मैगावाट), तथा अन्य परियोजनाओं के अन्वेषण कार्य जारी रखे गये हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण

• प्रदेश के कुल 16,916 गांवों में से दिसम्बर, 1978 के अन्त तक 8,048 गावों में बिजली पहुंचाई गई है। यह कुल गावों का 47.6 प्रतिशत है। वर्ष 1979-80 में 900 और गावों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है।

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में, चालू वर्ष में 145 नई प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई जिससे राज्य में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या बढ़कर 5,920 हो गई है। वर्ष 1979-80 में अभी तक 51 प्राथमिक पाठशालाओं का दर्जा बढ़ा कर उन्हें माध्यमिक पाठशाला बनाया गया है। इससे राज्य में माध्यमिक पाठशालाओं की संख्या बढ़ कर 1,511 हो गई है। 1978-79 में ही 20 माध्यमिक पाठशालाओं का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उच्च पाठशालाएं बनाया गया जिससे राज्य में उच्च विद्यालयों की संख्या 545 हो गई है। कार्यकारी साक्षरता कार्यक्रम को पूर्ण महत्व दिया गया है तथा यह कार्यक्रम जारी रहेगा। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का और विस्तार किया जायेगा।

"शिक्षा" शीर्ष के अन्तर्गत विविध कार्यक्रमों हेतु 1978-79 के लिए कुल परिव्यय 328 लाख रुपये था। इस शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए आगामी वर्ष की योजना में 222.50 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त पांचवीं योजना में आरम्भ किये गये कार्यक्रमों की उपार्पित देयता के लिये 341.22 लाख रुपये का प्रावधान भी किया गया है। इस शीर्ष के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में 12 लाख रुपये के खाद्यान्न भी प्रयुक्त किए जायेंगे। इस प्रकार शिक्षा शीर्ष के अन्तर्गत विकास सम्बन्धी कुल निवेश 575.72 लाख रुपये बनता है जो कि 1978-79 के अनुमोदित परिव्यय से 75.5 प्रतिशत अधिक है।

समाज कल्याण

समाज कल्याण के क्षेत्र में छात्रवृत्तियां देना, आवास अनुदान देना, सिलाई मशीनें देना, वृद्धावस्था पैंशन तथा विकलांगों को पैंशन देना आदि वर्तमान कार्यक्रम जारी रहेंगे। पोषण आहार कार्यक्रम के अन्तंगत वर्ष 1978-79 में 22,000 बच्चों तथा 2,000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने की सम्भावना है। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में भी जारी रहेगा। पूह तथा लम्बागांव में समेकित बाल विकास कार्यक्रम जारी रहेंगे। वर्ष 1979-80 में एक बाल/बालिका आश्रम खोलना प्रस्तावित है। विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रमों पर वर्ष 1979-80 का 83 लाख रुपये का प्रस्तावित परिव्यय 1978-79 के 52 लाख रुपये के प्रावधान से 63.46 प्रतिशत अधिक है।

इस सरकार ने जेलों की स्थिति में सुधार के लिए एक नीति की घोषणा की थी। चालू वर्ष में "मज़दूरी द्वारा कमाई" की योजना आरम्भ की गई थी। वर्तमान वर्ष में रेडियो, समाचार-पत्रों, अन्तरवासी खेलों, फलश वाली टट्टियों की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। पहली बार जेलों को भी योजना में सम्मिलित किया गया है, तथा सार्वजनिक सुविधाओं और पुस्तकालयों इत्यादि में प्रावधान के माध्यम से जेलों के सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए आगामी वर्ष में 2 लाख रुपये रख गये हैं। जेलें।

प्रदेश में विकास की गति को बनाए रखने तथा उसे तीव्र-गामिता प्रदान करने के ध्येय से हमारी सरकार ने निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर शक्तियों के विकेन्द्री-करण की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है :— शक्तियों का विकेन्द्री-करण

(1) प्रशासकीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण;
(2) वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण ; तथा
(3) क्रय-भण्डारण शक्तियों का विकेन्द्रीकरण।

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देते हुए प्रसन्नता अनुभव हो रही है कि हमारी सरकार ने शक्तियों का विकेन्द्री-करण करने सम्बन्धी बहुत से निर्णय ले लिए हैं। प्रशासकीय मामलों के क्षेत्र में विभिन्न स्थापना मामलों से निपटने के लिए शक्तियां विकेन्द्रीकृत की गई हैं। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के अधिकतर मामले अब ज़िला स्तर पर ही निपटाए जाएंगे। द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों सम्बन्धी अधिकतर मामले अब निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्षों द्वारा निपटाए जाएंगे तथा प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के मामले प्रशासकीय विभाग को भेजे जाएंगे।

वित्तीय मामलों के क्षेत्र में भी पर्याप्त विकेन्द्रीकरण किया गया है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के अन्तर्गत कार्यालय-अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों तथा प्रशासकीय विभागों को कई मामलों में अधिक शक्तियां दी गई हैं। बहुत से मामलों में प्रशासकीय

विभागों को बिना वित्त विभाग को संदर्भ भेजे जाने के बजाय अपने स्तर पर उन्हें निपटाने का प्राधिकार दिया गया है। कुछ विशेष मामलों, जैसे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर भेजने अथवा यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान या प्रतिहस्ताक्षरण, पर भी प्रशासकीय विभागों तथा विभागाध्यक्षों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। चालू स्कीमों की छानबीन व स्वीकृति तथा नई स्कीमों को बजट में शामिल करने की प्रक्रियाओं को काफी छोटा करने का प्रयत्न किया गया है। अब अपनाई गई नीति में वित्त विभाग द्वारा पूर्व-बजट छान-बीन के पश्चात् बजट में सम्मिलित की गई तकनीकी दृष्टि से स्कीमों को अब विभागों को स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी स्थिति में केवल उन मामलों में वित्त विभाग को भेजे जाने की आवश्यकता होगी जहां स्कीमों के ध्येयों या उनके आकार में कोई फेर-बदल करनी हो। प्रशासनिक विभागों को बजट के बड़े शीर्ष लेखों में प्रत्यावर्तन (Re-appropriation) या व्यवस्थापन के अधिकार भी दिए गए हैं। इन सब के माध्यम से अब विकास कार्यों के कार्यान्वियन को और तेज़ किया जा सकेगा क्योंकि कार्यकारी विभागों को संवर्धित प्राधिकार दिये गए हैं तथा प्रक्रियाओं में अधिक लचीलापन लाया गया है।

क्रय भंडारण के क्षेत्र में सरकार उचित संशोधनों पर विचार कर रही है ताकि सब प्रकार की बाधाओं को हटाकर इसे और प्रायौगिक बनाया जा सके। भंडार-नियन्त्रक की क्रय शक्तियों को दुगना कर दिया गया है। ऐसे मामलों में जहां रेट कांट्रेक्ट (मूल्य दर समझौते) विद्यमान न हों, भंडार-नियन्त्रक को 10 लाख रुपये तक के क्रय पर अनोपलब्धि प्रमाण-पत्र दिए जाने का अधिकार प्राप्त होगा तथा 10 लाख रुपये से अधिक के मामलों में उद्योग विभाग को प्रशासकीय विभाग की सहमति से यह प्रमाण-पत्र देने का अधिकार होगा। नई क्रय-भंडारण नीति से यह निश्चित किया जाएगा कि प्रदेश के लघु उद्योगों में तथा राजकीय प्राधिकरणों द्वारा निर्मित सामान सरकार अपने प्रयोग के लिए क्रय करे तथा प्रदेश के बाहर से ऐसा कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा। क्रय की प्रक्रियाओं को सादा बनाया जा

रहा है तथा मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी प्रक्रिया सम्बन्धी बाधा को प्रदेश में विकास व्यय की गति को कम करने के रास्ते में नहीं आने दिया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों का कल्याण

सरकार कर्मचारियों द्वारा सरकारी नीतियों के कार्यान्वियन की भूमिका के प्रति भली भान्ति जागरूक है। अतः सरकारी कर्मचारियों का कल्याण सरकार को सदा प्रिय है। जहां तक सरकार को अपने सीमित वित्तीय साधनों के अन्तर्गत सम्भव हो सकता है, सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न रियायतें दी जाती रही हैं। कर्मचारियों को वर्ष 1978-79 में दी गई मुख्य रियायतें इस प्रकार हैं :—

(1) जून, 1978 में मंहगाई भत्ते की 15वीं किस्त दी गई जिसके परिणामस्वरूप वेतन का खर्चा 75 लाख रुपये वार्षिक बढ़ गया।

(2) अनुपूरक भत्ते की दरों का पुनर्निरीक्षण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप संशोधित दर 1 अप्रैल, 1978 स तथा बाद में 1-12-1978 से तथा अन्त में 1-2-1979 से लागू की गई। परिणामतः क्रमशः 8.50 लाख रुपये, 60 लाख रुपये तथा 90 लाख रुपये वार्षिक वेतन बिल पर अधिक खर्च हुए।

(3) शिमला तथा इसके उप-नगरों में कार्यरत कर्मचारियों का आवास भत्ता साढ़े सात प्रतिशत से बढ़ाकर साढ़े बारह प्रतिशत कर दिया गया है जिससे 9 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक खर्चा होगा।

(4) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये 5 रुपये मासिक का वाहन भत्ता 1-1-1974 से स्वीकार किया गया है, जिससे 12 लाख रुपये वार्षिक का अतिरिक्त खर्च और बकाया की अदायगी पर 51 लाख रुपये के लगभग खर्च होगा।

सरकार ने अपने कर्मचारियों को पंजाब पद्धति के आधार पर वेतनमान देने के निश्चय की पुष्टि की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्नेह तथा विश्वास का जो सम्बन्ध कर्मचारियों के साथ स्थापित किया गया है, वह अधिक कार्य-कुशलता तथा जनता की भलाई के लिये सेवा भाव के रूप में प्रतिबिम्बित होगा।

माननीय सदस्यों के सम्मुख महत्वपूर्ण बातों का सारांश देने क पश्चात् मैं बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया चाहता हूं, तथा सिफारिश करता हूं कि वर्ष 1979-80 के बजट के अनुमानों को सदन स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करे।

ENGLISH VERSION OF THE SPEECH

OF

SHRI SHANTA KUMAR

Chief Minister

Himachal Pradesh

introducing the Budget Estimates for the year 1979-80 in the Himachal Pradesh Legislative Assembly on the 29th March, 1979

SIR,

I rise to present the Budget Estimates for the year 1979-80.

Before I proceed to detail the Budget Estimates for the consideration of the Hon'ble Members of this House, I would like to invite their attention to certain important features of the economy of our State. The year 1977 witnessed floods that caused extensive damage. During the current year, we witnessed once again, an unprecedented fury of floods. These floods caused widespread damage to the property and untold misery to a large number of people. The State had to gear up all its resources to meet this challenge and I am happy to say that the Government has been able to give substantial and timely relief and succour to the affected areas and to the families rendered homeless. Hardly had we recovered from this calamity, that a grim tragedy has taken place in the valley of Lahaul and Spiti, Kinnaur and Pangi, involving huge loss of life and property, in unprecedented avalanches. Our Government has been able to do and shall do whatever is warranted to secure relief, both on immediate basis and on long-term basis. However, I will like to congratulate our people for the heroic manner in which they mobilised themselves against the fury of successive disasters.

General Review of Economic situation.

On the national scene, the entire nation had been subjected to unprecedented floods and cyclones. Despite this, I am happy to say that the performance of the Indian economy during the current year is a matter of great satisfaction. The foodgrains production was 125.6 million tonnes in 1977-78 and was a record production. During 1978-79 also, this level is expected to be maintained. On the industrial front, the

production is expected to register an increase of 7 to 8 per cent in the current year. Agricultural production coupled with sizable industrial production have by and large led to stability of prices. The whole-sale price index on 10th February, 1979, was only 0.9 per cent above the level a year earlier and 0.4 per cent above the level two years earlier. Such a record of price stability in a period of two years in which national income growth was of the order of 11 per cent would be difficult to find else-where in the world. This has been brought about by well-conceived supply and demand management policies.

The consumer price index for Himachal Pradesh increased by 1.2 per cent from December, 1977, to December, 1978. For food items, however, this index declined by 0.4 per cent during this period. Foodgrains production increased from 9.23 lakh tonnes in 1976-77 to 10.64 lakh tonnes in 1977-78 and the expected production for the current year is of the order of 12.31 lakh tonnes. In the industrial sector, the pace is picking up and the number of new industrial units, both small and medium, are coming up. A major achievement has been the commissioning of both the units of Giri-Bata Hydel Project with an installed capacity of 60 mw.

Financial position.

I now come to the financial position in detail.

Accounts 1977-78

In the Revised Estimates of 1977-78, the year was expected to close with a deficit of Rs. 700.00 lakhs. The actual deficit, however, was Rs. 875.02 lakhs. In Revised Estimates, 1977-78 a surplus on Revenue Account of Rs. 2744.89 was estimated. The actual for that year, however, depicted a surplus of Rs. 3365.99 lakhs. On Capital Account, initially a deficit of Rs. 3310.01 lakhs had been estimated for 1977-78. In the actuals this turned out to be Rs. 3274.23 lakhs.

Revised Estimates 1978-79.

According to the Original Estimates of 1978-79, a surplus under Revenue Account of Rs. 2889.16 lakhs had been anticipated. In the Revised Estimates for 1978-79 this has been

improved to Rs. 3348.30 lakhs, representing an improvement of 15.8% or of Rs. 459.14 lakhs. This has been possible because, of firstly increased grants-in-aid from the Centre under water supply schemes, secondly, Central Advance Plan assistance for meeting the expenditure on restoration of damages caused by excess rains during this year, thirdly, further assistance from the Centre under the various Centrally Sponsored Schemes and fourthly grant in lieu of prohibition. The additional Central assistance is counter balanced by expenditure under the various heads, and the increase in the surplus under the Revenue Account represents the net position.

The expenditure under the Capital Account which was originally budgeted for 1978-79 at Rs. 3055.82 lakhs, is expected to be of the order of Rs. 3760.55 lakhs registering an increase of Rs. 704.73 lakhs which is mainly due to increased expenditure under water supply, Co-operation, Minor irrigation, Roads, and Transport, etc.

Under the Capital Receipt side, the net surplus under the head 'Public Debt' shows an increase of Rs. 353.81 lakhs. This is on account of larger loans from the Central Government (Rs. 323.29 lakhs), increase in loan assistance from National Co-operative Development Corporation of Rs. 80.20 lakhs, and reduction in the repayment liability of loans and advances of the State Government. The other item under the Capital Receipts is the net of loans and advances. Under this as against an original net deficit of Rs. 1368.34 lakhs there is a deficit of Rs. 1460.96 lakhs. Therefore, there is a further deterioration of Rs. 92.62 lakhs. This is on account of more loans and advances to third parties than provided for in the Original Budget Estimates and also less recoveries of loans and advances. The net position on Public Account shows an improvement of Rs. 159.42 lakhs mainly owing to more deposits and advances.

On an overall basis we expect to close the year 1978-79 with a deficit of Rs. 999.00 lakhs. This is inclusive of Rs. 875.02 lakhs as the accumulated deficit at the beginning of 1978-79.

Budget Estimates 1979-80.

The total Revenue Reccipts inclusive of Central assistance in respect of the State Plan and the Centrally Sponsored Schemes, at the existing rates 1978-79 of taxes are estimated at Rs. 17464.16 lakhs against an expenditure of Rs. 14414.55 lakhs showing a revenue surplus of Rs. 3049.61 lakhs under the Capital Account the net receipts are estimated at Rs. 1548.50 lakhs, against a net expenditure of Rs. 5142.01 lakhs, marking a deficit of Rs. 3593.51 lakhs. Thus the deficit under the Consolidated Fund is estimated at Rs. 543.90 lakhs. The net receipts under the Public Account inclusive of provident fund are estimated at Rs. 154.90 lakhs, thus leaving an overall deficit of Rs. 389.00 lakhs.

The details of the financial position at the existing rates of taxation are as follows:—

	(*Rupees in lakhs*)
A. OPENING BALANCE ..	(—) 999.00
B. RECEIPTS:	
(*a*) *States Domestic and Statutory Receipts:*	
(*i*) State tax and non-tax revenue (at current rates) ..	3781.07
(*ii*) Recovery of loans and advances ..	145.90
(*iii*) Share in Central taxes ..	1949.00
(*iv*) Article 275 grants	3760.00
(*v*) Grant in lieu of upgradation of standard of Administration ..	123.47
(*vi*) Special grants for schemes under Tribal Sub-Plan	125.00
(*vii*) Grant in lieu of prohibition ..	150.00
(*viii*) Public Account Receipts (Net) ..	154.90
TOTAL ..	10189.34
(*b*) *Grants-in-aid from the Centre:*	
(*i*) Grants-in-aid for State Plan Schemes	5747.40
(*ii*) Grrnts-in-aid for Centrally Sponsored Schemes (including ICAR/NCDC share)	1497.22
(*iii*) Grants in lieu of Food for Work ..	331.00
TOTAL ..	7575.62

(*c*) *Loans:*	
(*i*) Loans from the Centre for State Plan ..	638.60
(*ii*) Loans from the Centre for Centrally Sponsored Schemes ..	441.90
(*iii*) Small Savings Loans ..	400.00
(*iv*) Loans from banks and financial institutions ..	293.00
(*v*) Loans from Market ..	167.00
(*vi*) Ways and Means Advances from Reserve Bank of India ..	1200.00
TOTAL ..	3140.50
TOTAL—RECEIPTS ..	20905.46
C. EXPENDITURE:	
Non-Plan ..	12327.34
Plan–	
(*a*) State Plan ..	6903.00
(*b*) Central Tribal Sub-Plan ..	125.00
(*c*) Centrally Sponsored Schemes ..	1939.12
TOTAL ..	21294.46
GAP (A+C—B) ..	1388.00

The above deficit is worked out on the basis of the current rates of taxation as undertaken upto 1978-79. It does not include the additional mobilisation of resources to be raised during the next financial year 1979-80. It is proposed to commence the financial year 1979-80 with an opening deficit of Rs. 999 lakhs. Additional resources to the tune of Rs. 369 lakhs are proposed to be raised during the financial year 1979-80. Before I give the details of the additional resource mobilisation measures for 1979-80, I will make a mention of salient features of next year's developmental programmes.

VII Finance Commission Award.

The award of the Finance Commission was received during this year. For the five-year period 1979—84, funds to the tune of Rs. 325.07 crores would accrue to State in addition to the debt relief of Rs. 30.37 crores provided to the State. As far as the continuing programmes taken up during the Fifth Plan period (1974—78) are concerned, this award of the Finance Commission has allowed Himachal Pradesh an amount of Rs. 85.43 crores to meet the committed liabilities.

Annual Plan 1979-80.

Annual Plan for 1979-80 has been fixed at the level of Rs. 73 crores. Programmes accounting for an investment of 15.46 crores out of the Plan of 1978-79 have been transferred to Non-Plan. Thus, this investment of Rs. 15.46 crores will go for financing development works on the Non-Plan side. In addition to this, it is proposed to utilise Rs. 3.31 crores under the 'Food for Work Progamme'. Thus, aggregated total developmental outlay for Himachal Pradesh for the year 1979-80 comes to Rs. 91.77 crores. This outlay is about 25.7 per cent higher than the Plan outlay for the year 1978-79.

As a result of realistic determination of priorities for our Annual Plan 1979-80, the sectors which have specifically benefitted, include Water and Power Development, Co-operation, Power, Village and Small Industries, Housing, Welfare of Scheduled Castes and other Backward Classes, and Social Welfare. The priorities structure for the 1979-80 Plan, by and large, conforms to the one which we had determined for the year 1978-79 with some minor adjustments in the percentage share of some sectors. The Water and Power Development Sector has been accorded the highest priority followed by 'Agriculture and Allied Services', 'Transport and Communications', and 'Social Community Services', respectively.

An amount of Rs. 18.50 crores has been provided for power development during the year 1979-80. This amount is about 6.44 per cent higher than the expected expenditure of Rs. 17.38 crores for the year 1978-79. Under the Water Supply Programme, the outlay for 1978-79 was Rs. 4.86 crores against which

an amount of Rs. 5.75 crores has been provided for, constituting a step up of 18.31 per cent over the past year's outlay. Under the head 'Co-operation', an outlay of Rs. 100 lakhs has been provided for 1979-80 against Rs. 89 lakhs for the year 1978-79. This shows an increase of 12.36 per cent. The agreed outlay for 'Flood Control' for 1978-79 was Rs. 13 lakhs against which an amount of Rs. 40 lakhs has been provided for 1979-80. This provides for an increase of 207.69 per cent over the previous year's outlay. Under the 'Village and Small Industries' Sector, the outlay for 1979-80 is Rs. 133 lakhs against Rs. 111 lakhs for 1978-79. This indicates an increase of Rs. 19.82 per cent. Under the Social Welfare head, the outlay for 1978-79 was Rs. 52 lakhs. Against this, the outlay for 1979-80 has been kept at Rs. 83 lakhs which provides for a step up of 63.46 per cent.

Apart from these, certain other features of Annual Plan 1979-80 which need mention before the Hon'ble Members of the House are given in the following paragraphs:

Corporation for Antyodaya, Backward Classes and Economically weaker sections.

During the year 1979-80, it will be for the first time that certain outlays have been fixed under different heads of development for Antyodaya Programme. For this purpose, an outlay of Rs. 35 lakhs has been earmarked under the Agriculture head, Rs. 15 lakhs under the Horticulture head, Rs. 40 lakhs under the Animal Husbandry Programme and Rs. 25 lakhs for Village and Small Industries. Out of a total allocation of Rs. 1.15 crores for Antyodaya Programme, an outlay of Rs. 25 lakhs has been earmarked for establishment of Corporation for financing the requirements of Antyodaya families, backward classes and economically weaker sections. Apart from these earmarked outlays, the Antyodaya families will continue to derive benefits under the normal programmes under implementation. Provisions for providing stipends, scholarships and free legal aid to Antyodaya families have also been made. It is considered that we should cover another 19,000 families in the coming year in addition to those identified during the current year.

Corporation for the Welfare of Ex-Servicemen.

For suitable economic uplift and rehabilitation of ex-servicemen in Himachal Pradesh which number about 60,000, our Government have earmarked an outlay of Rs. 10.00 lakhs for establishment of a Corporation for this purpose. This measure is likely to benefit at least 500 ex-servicemen.

For the Annual Plan 1979-80, our Government has earmarked an outlay of Rs. 45 lakhs for investment for the 'Scheduled Castes Development Corporation'. It is estimated that similar amount would be available for investment in this corporation from the Central Government/Reserve Bank of India. As a result of this provision, some important steps will be initiated for economic amelioration of this ever downtrodden section of our society.

150 Health Sub-Centres and 50 Veterinary Dispensary Buildings.

Under the 'Food for Work' programme under the 'Rural Integrated Development' head, an outlay of Rs. 80 lakhs has been earmarked. Against this financial investment, foodgrains worth Rs. 60.00 lakhs will be available for partial kind payment of wages for construction of at least 150 sub-centres of Health Department and 50 Veterinary Dispensaries and some other useful buildings. It is for the first time in the History of Himachal Pradesh that such a large scale construction of this essential infrastructure has been taken up. It will not be out of place to mention here that in the past Plans, sub-centres have continuously been opened without any suitable provision of buildings for housing these institutions. Only seven sub-centres can boast of their own buildings.

1000 Health Sub-centres.

This Government has been endeavouring to bring medical relief to the door-step of the vastly scattered population of this Pradesh. In the coming year, it is proposed that 617 sub-centres will start functioning. We cannot start the functioning of all the 1,000 sub-centres as the trained man-power for running these sub-centres is not available and is being trained. However, provision of medicines at the rate of Rs. 2,000 per sub-centre for 1,000 sub-centres, has been made till the time all the sub-centres start functioning. The medicines meant for these sub-centres will be placed either in the adjoining

sub-centres or the dispensary or in the concerned primary health centre.

Six New Agro Service Centres.

In the Annual Plan 1979-80, a special provision of Rs. 7 lakhs has been kept for establishment and running of six new agro-service centres.

Library Movement.

Under the head 'Education' an outlay of Rs. 5.00 lakhs has been earmarked for initiating a library movement in the Pradesh, which it is hoped, will gather momentum in the coming years.

International Year of Child.

The year 1979-80 has been declared to be observed as 'International Year of the Child'. For formulation of specific programme for the benefit of children and their implementation, an outlay of Rs. 11.00 lakhs has been earmarked under the Social Welfare head.

Five-fold investment for Housing Government Servants.

During the current year Rs. 37 lakhs are to be spent in providing houses for Government employees. From this year we are making a departure to involve Housing Board in order to supplement funds, substantially by 3:7 loan component available from Housing and Urban Development Corporation. It is proposed that an amount of about Rs. 165 lakhs will be available for investment for the construction of houses for Government servants during the year 1979-80. This is about five times the amount invested during the year 1978-79.

Police Housing.

For Police Housing an amount of Rs. 1.50 crores under Non-Plan has been proposed for the Five-Year period for the first time of which Rs. 30.00 lakhs would be invested for construction of police houses during 1979-80. This is in addition to the amount of Rs. 9.58 lakhs available under Centrally Sponsored Scheme during 1978-79.

Revenue Housing.

It is for the first time in the history of Himachal Pradesh that specially earmarked outlays have been kept for revenue housing. It is an established fact that provision of house-*cum*-office facilities to the Patwaris is the backbone of the revenue

administration. During the 1979-80 period, an outlay of Rs. 13.00 lakhs has been earmarked for Revenue Housing under the head 'Land Reforms'.

Civil Aviation.

It has been proposed that an inter-State Civil Aviation Corporation will be established in 1979-80 by Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. We on our part, have made a token provision of Rs. 10.00 lakhs for share-capital investment in the Inter-State Civil Aviation Corporation for resumption of flights to Kulu Valley on the one hand, and exploration of further avenues in Civil Aviation in Himachal Pradesh, on the other.

Improved Communications between State and District Headquarters.

In order to strengthen and streamline the administration and to reduce the time lag in communications in a State like ours, it is proposed to spend Rs. 9 lakhs during 1979-80 for the establishment of regular Telex/Teleprinter services between different district headquarters and the State headquarters.

Small/Cottage Industries.

I have already stated before the Hon'ble members that under the 'Village and Small Industries' head, a step up of Rs. 19.82 per cent has been provided in the annual Plan proposals for 1979-80 over the 1978-79 level. In order to encourage development and expansion of small/cottage industries in the State, it is very necessary that suitable infrastructure for provision and raw material and purchase of the products by these small units is established. During the 1979-80 Plan, it is proposed that 20 new depots will be opened in the entire State for catering to raw-material requirements on the one hand and purchase of the products for further marketing on the other. Apart from establishment of these depots, in order to expand the marketing potential of the handicrafts in the country, a chain of emporia will be established all over the country. Under this programme, a total of 6 new emporia will be opened outside the State.

Under the umbrella of already established District Industries Centres, it is proposed to provide the services and support

required for integrated development of Cottage and Small Scale Industries.

During the current financial year an amount of Rs. 5.00 lakhs has been provided for establishment of Working Women's Hostels. It has been proposed that these hostels will be opened at Simla, Mandi and Dharamsala. For construction and organisation of these hostels, the voluntary agencies have been entrusted the responsibility. For these institutions a total outlay of Rs. 2.50 lakhs has been provided for 1979-80, of which Rs. 2.00 lakhs have been proposed to be invested under the Centrally Sponsored Programme. Working Women's Hostels.

Of the total outlay for 1979-80 under education head, Rs. 1.00 crore has been earmarked for capital works as against Rs. 36.92 lakhs during the current year. This is highest ever provision and will be used for repairs/renovations of the existing buildings and construction of new buildings for schools. Highest ever Capital Works Allocation for School Buildings.

In addition to 150 sub-centres to be constructed under Food for Work Programme, it is proposed to provide about Rs. 75 lakhs for the construction of buildings of State Hospital, District Hospitals, Sub-Divisional Hospitals, Up-graded Hospitals and other buildings. Such a large provision was never made earlier. During the current year this outlay was of the order of Rs. 46.86 lakhs. Highest ever Capital Works Allocation for Health Buildings.

The un-planned growth of Simla town is a matter of great concern to all of us. To ensure balanced development of Simla, an outlay of Rs. 25.00 lakhs has been earmarked for establishment of 'Simla Urban Development Authority' in the Annual Plan for 1979-80. Simla Urban Development Authority.

The objective of removal of un-employment and under-employment has remained a consistent feature of development planning in our country. Due to some intrinsic reasons, the plan investment has continued to be related only to growth rates of economy. Unfortunately, the plan investment-employment generation rationale was not possible to be established Unemployment.

or achieved. Even the approach paper to the National Fifth Plan realised this but the same could not be duly considered at the time of finalisation of the Fifth Plan.

With application of certain correctives in this regard by adoption of new planning strategy, the attention has been focussed on removal of un-employment at the national level. We in Himachal Pradesh also proposed to launch a frontal attack on removal of un-employment. The Hon'ble Members have time and again mentioned this issue and they will be pleased to note that we in Himachal Pradesh propose to ameliorate this problem through a package of measures listed below:—

(1) Wide-spread and intensive coverage of poorer rural masses through agricultural agency programmes, *i.e.* SFDA and MFALA;
(2) Establishment and strengthening of various Development Corporations;
(3) Integrated approach for development of the village and small industries and handloom and handicrafts by a suitable dove-tailing of the expansion, raw-material procurement and marketing activities;
(4) Antyodaya programme for amelioration of the 'low end' poverty;
(5) Integrated rural development programme; and
(6) The normal developmental programmes of the plan.

The total magnitude of the unemployment problem as estimated through the National Sample Survey data was 70,000 persons as on 31-3-1978. Our labour force has been estimated to grow at an annual rate of two per cent. Thus the likely additions to labour force during 1978-88 period will be about 3.60 lakh persons. The whole quantum for which the above programmes will be motivated comes to about 4.30 lakh persons. In this manner, we will be required to generate additional employment opportunities to the tune of 43,000 per annum to ameliorate the un-employment problem in a ten year time frame. In this regard, I will like to make a special mention of the 'Integrated Rural Development' programme

and the similar activities like SFDA/MFALA which will generate full employment opportunities to an estimated number of about 16,000 families during the year 1979-80. The annual Plan is likely to generate additional employment of the order of about 15,000 person-years. To ensure complete follow up, our Government has also decided to introduce decentralised planning in 18 blocks during 1979-80 for which Rs. 0.60 lakh per block have been earmarked for conduct of surveys.

Revised Minimum Needs Programme.

The National Programme of minimum needs was launched as an integral part of the plan during the Fifth Five-Year Plan. The basic coverage and target setting of this programme has been considerably changed in the National Draft Plan for 1978-83 and a new nomenclature has been given to this programme as 'Revised Minimum Needs Programme'. As has already been stated, this programme is aimed at providing essential basic facilities to the rural sections of our society. The programmes included in this are elementary education and adult education, rural health, rural electrification, rural roads, nutrition, provision of house-sites for landless and rural housing and environmental improvement of urban slums. The awareness of the State Government for implementation of this programme is amply illustrated by the fact that the State Government have enhanced the original agreed outlay of Rs. 1193.25 lakhs for RMNP during 1978-79 to Rs. 1214.74 lakhs. This content of RMNP for 1979-80 has been enhanced to Rs. 1268.00 lakhs against the last year approved outlay of Rs. 1193.25 lakhs. Of this total outlay of Rs. 1268.00 lakhs, Rs. 60.00 lakhs will be spent for rural electrification, Rs. 522.00 lakhs for construction of rural roads, Rs. 140.00 lakhs for elementary education, Rs. 450.00 lakhs for provision of rural water supply, Rs. 8.00 lakhs for house-sites to landless, etc., Rs. 5.00 lakhs for improvement of urban slums and Rs. 33.00 lakhs for nutrition programme.

Backward Areas.

The approach for development of the backward areas in Himachal Pradesh in the 1979-80 Plan is to lay considerable reliance on the development of agriculture, horticulture, minor

irrigation, education, health and water supply besides the general development through village and small industries etc. In order to quickly identify and review the inter-regional disparities in the levels of economic development, Himachal Pradesh Government has thought it suitable to constitute a High-powered Committee of the Secretaries, which will also suggest suitable developmental strategy for these areas. The State Government has decided in principle to spend 10 per cent of the total Plan Outlay on agriculture, horticulture, minor irrigation, education, health and rural water supply for investment in backward areas only.

An outlay of Rs. 148.09 lakhs has been earmarked for the development of backward areas during 1979-80 under these heads of development.

Tribal Areas.

The Hon'ble Members already know that the process of speedier development for the Tribal Areas in the entire country was initiated with the beginning of the Fifth Plan when a Tribal Sub-Plan was formulated for such areas as have a tribal concentration of more than 50 per cent. During the year 1978-79, out of a total State Plan Outlay of Rs. 73.00 crores, an outlay of Rs. 590.35 lakhs was earmarked as State share for Sub-Plan areas besides a supplementary investment of Rs. 130.00 lakhs through Special Central Assistance. This amount is likely to be of the order of Rs. 782.30 lakhs for the current year in the State share alone.

Resourse Mobilisation.

As I have explained earlier, out of the total Plan Outlay of Rs. 73 crores for 1978-79, a sum of Rs. 15.46 crores has been transferred to the committed expenditure. The balance amount of Rs. 57.54 crores has again now been stepped up to Rs. 73 crores for the year 1979-80. For a step up of Rs. 15.46 crores, the Planning Commission has desired raising of State Resources by an amount of Rs. 4 crores. Central Government on its own part has raised the Central Assistance from Rs. 58.05 crores during the year 1978-79 to Rs. 63.5 crores during the year 1979-80. In order to finance the Plan Outlay for 1979-80 therefore it has

become necessary to raise additional resources as desired by the Planning Commission. If we have to meet the minimum aspirations of the people, we have to have a large Plan Outlay and which necessarily involves the not so pleasant task of mobilising additional resources.

While devising tax measures it has been the consideration of this Government that the incidence of taxation falls, as far as possible, on those who are able to bear it. The following measures have been proposed with effect from the beginning of the next financial year to raise additional resources to the extent of Rs. 369 lakhs.

1. *Increase in the rate of Sales Tax on Timber.*—It is proposed to raise the present rate of sales tax on timber to 25%. This would give an additional income of Rs. 150 lakhs per annum.

2. *Increase in the rate of Tax on Sales of Motor Spirit.*— It is proposed to raise the rate of tax on sale of motor spirit to 15 paise per litre. This would give an additional income of Rs. 25 lakhs per annum.

3. *Increase in rate of Taxes on Motor Vehicles.*—It is proposed to bring the rates of Taxes on Motor Vehicles at par with the rates prevailing in the Punjab. These rates will not, however, be raised in the case of Motor Cycles and Scooters. Besides, the rates for stage carriage would be Rs. 200 per seat subject to maximum of Rs. 10,000. This measure would give an additional income of Rs. 47 lakhs per annum.

4. *Increase in the rates of Electricity Duty.*—It is proposed to raise the rate of Electricity Duty to twice of the present rate. This rate will, however, be not levied to the consumers having the consumption of electricity upto 15 units. This measure will give an additional income of Rs. 34 lakhs per annum.

5. *Levy of Surcharge on Sales Tax.*—It is proposed to levy a surcharge of 10% on Sales Tax. This would give an additional income of Rs. 80 lakhs per annum.

6. *Increase in the rate of Sales Tax on liquor.*—It is proposed to raise the present rate 20% of Sales Tax on liquor to 25%. This will give an additional income of Rs. 25.00 lakhs per annum.

7. *Tax on luxury in Hotels and Lodging Houses.*—It is proposed to levy tax on luxury provided in Hotels and Lodging Houses. This will give an income of Rs. 8 lakhs per annum.

After taking into account the additional resources, the final picture for the year 1979-80 will be as follows:—

			(Rs. in lakhs)
I. Opening Balance		..	(—)999.00
II. Revenue Account			
Receipts		..	17833.16
Expenditure		..	14414.55
	Surplus	..	3418.61
III. Capital Expenditure (Net)		..	3704.27
IV. Public Debt:			
Debt incurred		..	3140.50
Repayments		..	1592.00
	Surplus	..	1548.50
V. Loans and Advances:			
Advances		..	1583.64
Recoveries		..	145.90
	Deficit	..	1437.74
VI. Provident Fund (Net)		..	365.00
VII. Deposits Advances and Remittances (Net)		..	(—)210.00
VIII. Closing Balance		..	(—)1019.00

The deficit of Rs. 1019 lakhs is proposed to be reduced by Rs. 20 lakhs by taking other measures in management of the resources so that the closing deficit for the year 1979-80 is maintained at the level of opening deficit for 1979-80 *viz.*, Rs. 999 lakhs.

In the context of the considerations I have narrated, this is the minimum effort we find ourselves compelled to do. Given the context of the substantially enhanced development programme, particularly in the country-side, I am sure that our Government shall receive the whole-hearted co-operation of the House and the people in its endeavour to raise these additional resources.

Agriculture.

The total Plan outlay for various purposes of agricultural programmes has been kept at Rs. 2.44 crores for the year 1979-80. In order to improve the economic conditions of small and marginal farmers, six districts have been brought in the fold of the S.F.D.A. programme. We have been endeavouring to bring more areas under high-yielding varieties of major cereals. The State plans to cover 2,70,000 hectares under wheat, 78,000 hectares under paddy and 70,000 hectares under maize in respect of high-yielding varieties. During the year 1979-80, the Government aims to consume 10,000 tonnes of Nitrogen, 2,500 tonnes of Phosphatic and 2500 tonnes of Potassic fertilizers. The consumption of Phosphatic and Potassic fertilizers has been sought to be encouraged by giving to the small and marginal farmers a subsidy ranging from 25% to 33⅓%. Adequate attention is also being paid to the preparation of compost and adoption of green manuring techniques. For the purpose of plant protection, the proposed targets for 1979-80 are 40,500 hectares for food crops and 61,000 hectares for commercial crops. It is proposed to raise the production of potatoes to 1.15 lakh tonnes and of dry ginger to 1,500 tonnes during the year 1979-80. In order to ensure remunerative prices to the growers, regulation of markets has been taken up. Markets of Kulu and Kandrori in addition to the markets of Nalagarh, Paonta Sahib and Simla stand regulated. During the coming year, it is proposed to regulate two more markets in the State.

Ware-housing Corporation.

Provision has also been made for the establishment of a Ware-housing Corporation in the State in order to avail of almost much contribution from the Centre to create an infrastrcture of storage godowns.

Apparently, an outlay of Rs. 2.44 crores for these programmes under the Plan may seem to be on the lower side as compared to last year's approved outlay of Rs. 2.56 crores. But actually the total developmental outlay for 1979-80 comes to Rs. 4.04 crores which includes Rs. 1.60 crores worth of programmes continuing during 1978-79 but now will stand transferred to non-Plan for 1979-80. Thus the step up in developmental outlays for agricultural programmes for 1979-80 will be 57.8 per cent over the 1978-79 level.

Soil Conservation.

Soil conservation is an important programme for conserving ecological balance of a hilly State like ours. Both Agriculture and Forest have to take up this programme, the agricultural lands, being the responsibility of the Department of Agriculture and Forest lands being the responsibility of the Forest Department. Agriculture Department will treat an area of 2,000 hectares in the year 1979-80 in addition to about 800 hectares under the River Valley Projects. The Forest Department will treat an area of 1,924 hectares under the State sector schemes and an area of 9,011 hectares under Central Sector schemes.

The total outlay for miscellaneous soil conservation programmes during 1978-79 was Rs. 117 lakhs. Against this, the total developmental outlay inclusive of the committed liability in respect of Fifth Plan programme for 1979-80 for Soil Conservation programmes has been proposed at Rs. 164 lakhs. Apart from this, another Rs. 10.00 lakhs will be utilised under the 'Food for Work' programme. The total investment in this sector for 1979-80 will thus be Rs. 174 lakhs which indicates an increase of 48.7 per cent.

Horticulture.

In a sizeable area of Himachal Pradesh, Horticulture occupies a commanding position. Himachal Pradesh has

rightly come to be known as an Apple State. During the year 1979-80, it is expected that the fruit production shall reach an all-time high figure of 3.29 lakhs tonnes. A special Central assistance programme of giving subsidy on production inputs like fertilizers, pesticides and plant material is being implemented for small and marginal apple growers, particularly those affected by the recent floods, at an expense of Rs. 50 lakhs. By the end of the current year, the area under orchards shall reach 79,900 hectares and in the coming year another 4,000 hectares is proposed to be added. Top working programme and plant protection measures will continue. It is to the credit of this Government that the most deadly disease, namely, apple scab, which caused havoc in the adjoining State was completely controlled and contained by us. This involved giving pesticides on subsidy and covering about 3,000 hectares under prophylactic and curative measures. Efforts are continuing for the development of new crops like olives, figs, pistachionuts, mushrooms, etc. Launching of a Rs. 60 lakhs UNDP Project for the development of mushrooms has been an important step in this direction. Bulk compost manufacture and pasteurisation unit is being set up at Solan.

Hon'ble Members are aware, this State Government is implementing a World Bank assisted Project for creating an infra-structure in this State which would take care of processing and marketing of fruits. The work of construction of packing and grading houses at Bhuntar, Kotgarh, Kotkhai, Rohru and Oddi and grading houses at Tutupani, Rajgarh, Chini and Chail Chowk is in progress. During 1978-79, two departmental canning units were commissioned at Nagrota and Bilaspur. Initial steps for setting up of fruit processing factory at Parwanoo have been completed and this factory will process about 10,000 tonnes of fruit and is likely to be commissioned during the current year.

The total approved outlay for 1978-79 for horticultural programmes was Rs. 2.51 crores. Programmes worth Rs. 0.72 crores from this will continue during 1979-80 and will be funded from non-Plan. Apart from this, the Plan Outlay

for 1979-80 is Rs. 2.10 crores, which brings the content of total developmental outlay on horticultural programmes to Rs. 2.82 crores for 1979-80. This is 12.4 per cent higher as compared to 1978-79 level.

Animal Husbandry and Dairying.

Development of Animal Husbandry is an essential feature in an agricultural economy. Apart from veterinary aid, schemes have been taken up for the development of cattle by providing artificial insemination facility at more than 300 institutions and natural breeding facility in 43 institutions. These facilities would be further extended during 1979-80. For sheep development, 207 rams of improved breed were sold to the breeders. An intensive sheep and wool development project has been started in Chamba during the current year. At present there are 14 poultry farms/centres from where 48,000 birds and 4,000 hatching eggs were supplied for propagation in addition to 316 thousand eggs and 23 thousand birds sold for table purposes.

The milk supply schemes in Mandi, Nahan, Simla and Kangra districts continued and one more such scheme was started at Chamba during this year. Under these schemes, 40.50 lakhs litres of milk was procured and Rs. 75 lakhs were paid to the milk producers.

The level of approved outlay for 1978-79 for Animal Husbandry and dairying programmes was Rs. 1.87 crores. Against this, the total investment in developmental programmes in this sector for 1979-80 has been kept at Rs. 3.06 crores which includes programmes worth Rs. 1.31 crores converted to Non-Plan. This developmental outlay of Rs. 3.06 crores is 63.6 per cent higher than the outlay for 1978-79.

Forests.

Forests have an important role to play in the economy of this Pradesh and hence their scientific exploitation. While trees are to be cut, they also have to be preserved and the area under plantation has to be extended. The forests cover an area of 21,763 sq. kms which forms about 39.1 per cent of the total area of the Pradesh. During the current year 4,715

hectares are expected to be covered with industrially important timber species in compact blocks while an area of 5,931 hectares is proposed to be brought under other plantation during 1979-80. In order to produce raw material for the pulp and paper industry in the country, a sum of Rs. 70.85 lakhs is provided for raising plantation over an area of 5,310 hectares during 1978-79 while an area of 5,103 hectares will be tackled during 1979-80. Similarly for raising of fuel-wood plantation on unculturable village waste lands, road sides, and field bunds, plantation is expected to be done over an area of 4,937 hectares. Chilgoza plantation will be done in 200 hectares next year.

Against an approved outlay of Rs. 4.60 crores for 1978-79, the level of developmental outlays inclusive of committed liability for miscellaneous forestry programmes for 1979-80 has been proposed at Rs. 5.28 crores. Besides this, Rs. 65 lakhs will also be utilised under the 'Food for Work' programme. Thus, the total investment for 1979-80 in this sector comes to Rs. 5.93 crores constituting a step up of 28.9 per cent over the last year's outlay of Rs. 4.60 crores.

Wild Life.

This Pradesh is known for a variety of games, animals and birds. During 1978-79, effective steps were taken to improve the game sanctuaries and shooting blocks so as to afford protection to the species facing extinction. The development of game sanctuaries in Solang Valley in Kulu district and Renuka area in Sirmur district remained in progress besides setting up of a high altitude Zoological Park at Simla for displaying the fauna of the Himalayan region. It is proposed to establish a National Zoological Park at Manali. In addition to extending Musk Deer Breeding Farm at Kufri, another farm at Sangla in Kinnaur district is proposed to be established.

Fisheries

With a view to ensuring co-ordinated development of various aspects of fisheries in the Pradesh, the schemes included in the Fifth Five-Year Plan remained under execution during the current year. Fishing in reservoirs is now allowed only through the co-operative sector. Five primary fishermen co-operative

societies for Gobind Sagar Reservoir and 5 such societies for Pong Dam Reservoir have been organised which are also undertaking the marketing of fish catches from these reservoirs.

The approved outlay for 'Fishery' head for 1978-79 was Rs. 16 lakhs. Against this, the developmental outlay for 1979-80 has been proposed at Rs. 18.44 lakhs. This provides for a step up of 15.3 per cent.

Co-operation. There are 3,588 co-operative societies in the Pradesh of which 2,349 are primary agricultural credit societies which cover hundred per cent of the villages. These societies are expected to advance a loan of Rs. 850.00 lakhs during 1978-79. As regards long term loans, the Himachal Pradesh Central Land Mortgage Bank and the Kangra Primary Land Mortgage Bank are expected to advance Rs. 80.00 lakhs. These societies also help in the marketing of cash crops like potato, ginger, apples, tea and kuth. The value of such produce handled by these societies is estimated at Rs. 5.50 crores during 1978-79. These societies also help in the distribution of essential consumer goods and the agricultural inputs like seeds and fertilizers.

Operation Flood II. The Government has also decided to implement the programme known as Operation Flood II through the co-operative sector. The principal objective of this programme is integrated development of cattle and dairy farming so as to benefit at least 1.87 lakh milk producers all over the State.

Food and Civil Supplies. The net work of co-operative societies provides us with an infrastructure to take out retail outlets to the farthest places in the State for purposes of distribution of essential commodities. From 1st July, 1979, we shall be participating in the Central scheme for the distribution of a number of essential commodities at uniform prices all over the country.

Drinking Water Supply. We have adopted provision of drinking water supply schemes as first priority in the social sector schemes for this State. During the year 1977-78, 500 villages were provided

with drinking water and in 1978-79, 1,200 villages will be provided this facility. As against the provision of Rs. 154 lakhs in 1976-77, Rs. 486 lakhs in the State sector and Rs. 335 lakhs in the Central sector were spent during the current year. The provision for the coming year is Rs. 575 lakhs in the State sector alone, which is 18.31 per cent higher than the last year's approved outlay of Rs. 486 lakhs.

Health.

Clean drinking water is the first requisite of health care. However, this by itself is not enough. The State Government has endeavoured to orient the entire health care programme on various tier-basis. Lowest is a net work of proposed 1,000 health sub-centres assisted by 401 dispensaries, catered to by 77 P.H.Cs. These health facilities are strengthened with necessary equipment and facilities in the shape of up-graded rural hospitals and sub-divisional hospitals. This structure is covered by district hospitals and ultimately comes to the State Hospital at Simla. To buttress this health structure involves adequate provisions both for medicines and diet. Honourable Members will be glad to know that we have doubled the provision for medicines and have almost raised four-times the provision for diet.

The total quantum of medicines has been raised from 71 lakhs in 1978-79 to Rs. 145 lakhs for 1979-80. For diet, the provision of Rs. 17.20 lakhs has been raised to Rs. 64.22 lakhs. It has been decided that every patient will either get an egg or a glass of milk.

The total outlay on health and medical programmes for 1978-79 was Rs. 176 lakhs (Rs. 115.25 lakhs for allopathy, Rs. 15.75 lakhs for Ayurveda and Rs. 45 lakhs for Medical College). The Plan outlay for 1979-80 for these heads has been envisaged at Rs. 146.50 lakhs besides Rs. 113.06 lakhs outlay on developmental programmes to be funded out of non-Plan. This brings the developmental outlay for various health programmes for 1979-80 to Rs. 259.56 lakhs which implies a step up of 47.5 per cent over the last year's outlay. It may be also mentioned here that this does not include the

enhanced provisions for medicines and dietary charges amounting to Rs. 209.22 lakhs under non-Plan.

Roads. Roads are the life line for the State. Without the roads, no progress will take place in a hilly State like Himachal Pradesh. During the year 1978-79 an amount of Rs. 1440 lakhs is expected to be spent and it is anticipated that we shall have 11,273 kilometres of motorable roads, 695 kilometres of jeepable roads and 411 kilometres of tracks. The metalled and tarred roads will increase to 3,891 kilometres. The motorable road will now be 20.94 kilometres per 100 sq. km. of area. During the year 1979-80, 245 km. motorable roads are likely to be added to the existing infra-structure. Nine bridges have also been completed and another 35 would be completed by the year end.

Against an outlay of Rs. 14.40 crores for road construction programme for 1978-79, the total developmental outlay on this programme for 1979-80 has been proposed at Rs. 16.07 crores (14.40 crores from Plan and Rs. 1.67 crores from Non-Plan to meet the committed liability in respect of Fifth Plan Scheme). Over and above these provisions, an amount of Rs. 1.36 crores will be utilised under the 'Food for Work' programme in this sector. The total developmental investment for 1979-80 for roads thus comes to Rs. 17.43 crores, which is 21.0 per cent higher than the outlay for 1978-79.

Under the building construction programme 52 residential and 55 non-residential buildings were completed and another 113 residential and 130 non-residential buildings are expected to be completed in this year.

Road Transport. Road transport constitutes the essence of the economy in the hills. During the current year, new bus services were introduced on 33 routes while 81 routes were extended or diverted. The Transport Corporation which is presently providing bus service on nearly 550 inter-State and intra-State routes to nearly 3.35 crores passengers annually, proposed to augment its fleet by purchasing 180 buses and two cabs.

during 1978-79. The per kilometre income has increased from Rs. 2.24 to Rs. 2.45 while the fare concession to students on monthly passes has been liberalised from 24 single fares to 10 single fares. During the next year, the fleet will be further strengthened.

Tourism.

The Pradesh with its rich natural surroundings has vast tourist potential, which has not been developed fully so far in the absence of requisite funds. Nevertheless, considerable facilities have been extended for the boarding, lodging and transport of the tourists. During the year 1979-80, Rs. 50 lakhs will be invested in the Himachal Pradesh Tourist Development Corporation to enable the Corporation to continue to expand its activities.

Large Industries and Minerals.

Apart from the vast tourism potential which has the basic admixture of becoming largest industry of the Pradesh, we also have vast mineral reserves—prominent among them is limestone, for establishment of basic industries like cement. The Rajban Cement Plant is nearing completion and the one at Bilaspur has also been taken up for implementation. Tenders have been invited for setting up mini-cement plants in Kangra and investigation/feasibility reports are under preparation for establishment of cement plant in Chamba.

Housing.

So far about seven thousand houses have been constructed at different places including Simla, Parwanoo, Una, Hamirpur and Nahan by the Housing Board.

The work on the construction of housing colonies at Solan, Dharamsala and Sanjauli (Simla) is in progress. The work of a new housing colony at Palampur has just been taken in hand. It is proposed to start work on housing colonies at Bilaspur, Mandi, Chamba and Kulu in the next financial year. A new scheme for Sector IV at Parwanoo has been got approved from the HUDCO at a total cost of Rs. 2.36 crores.

Power.

As the Hon'ble Members are aware, this State is bestowed with immense hydro-electric potential estimated to be of the

order of 9,000 MW. An outlay of Rs. 1850 lakhs has been approved for Power Development Programmes for 1979-80 which is 25.34% of the total State Plan for the year.

60 MW Giri Hydel Project in Sirmur district was completed and commissioned in April, 1978. It is expected to generate about 289 Million Units annually which will fetch an additional gross revenue of about Rs. 5 crores. Rukti Power House in Kinnaur district is also likely to be commissioned for commercial generation during 1979.

The Government has been able to achieve a major break-through in its agreement with the State of Punjab on Thein Dam. For the first time the principle of free power has been conceded. Without any investment, Himachal Pradesh will get 4.6% of power generated at Thein Dam free of cost. This power, if need be can also be sold to Punjab for an assured cash compensation of Rs. 82.5 lakhs annually. The rates of the power will be reviewed after 5 years.

The work on 15 MW Andhra Hydel Project in Rohru tehsil of Simla district has been taken in hand during 1978-79 and infra-structure work like land acquisition, land development, roads, buildings, etc., has been started. Also, during 1978-79 infra-structure work such as roads, buildings, land development, construction, etc., in regard to Bhaba Hydel Project (120 MW) remained in progress; in Binwa (6 MW) work on construction of roads, buildings, tunnel excavation has been taken in hand. Regarding Bassi Augmentation (15 MW) the work of fabrication of pen-stocks has been taken in hand, and in Rongtong Project the work of bench cutting on power channel, lining, storage tank excavation and buildings remained in progress.

Investigation work on hydel projects like Nathpa-Jhakri Hydel Project (1020 MW), Kol Dam (600 MW), Dadahu Dam (100 MW), Larji Project (140 MW) have already been completed and Project Reports of Nathpa-Jhakri Project and Kol Dam have already been sent to the Government of

India. Investigation of Baspa Hydel Project (400 MW), Gyspa Hydel Project (225 MW), Parbati Hydel Project (1900 MW), Malana Hydel Project (50 MW) and other projects is being continued with a view to having a phased programme of exploitation of hydel potential of the State.

Rural Electrification.

Out of a total 16,916 villages in the Pradesh, 8,048 villages have already been electrified upto the end of December, 1978, which is 47.6% of the total villages. It is targetted that during the year 1979-80, 900 more villages will be electrified.

Education

In the field of education, during the current year, 145 new primary schools have been opened till now, bringing the total number of primary schools in the State to 5,920. 51 primary schools have been upgraded to middle standard during 1978-79. This brings the total number of middle units in the State to 1,511. Twenty middle schools have been upgraded to high standard during 1978-79 bringing the total number of secondary units in the State to 545. Functional literacy programmes have been given due emphasis and this programme will continue. Adult Education Programme will be intensified.

The total outlay for miscellaneous programmes under the head 'Education' for 1978-79 was Rs. 326 lakhs. For various developmental programmes under this head, an outlay of Rs. 222.50 lakhs has been provided in next year's Plan besides a provision of Rs. 341.22 lakhs for meeting the committed liability in respect of programmes taken up during the Fifth Plan. Foodgrains worth Rs. 12 lakhs will also be utilised for construction activity under this head. Thus, the total developmental investment under the head Education works out to Rs. 575.72 lakhs which provides for a step up of 75.5 per cent over the approved outlay for 1978-79.

Social Welfare

The current programmes like grant of scholarships, grant of housing subsidy, grant of sewing machines, old-age pensions and pensions for handicapped persons under social welfare sector

will continue. Under the Nutrition Programme during 1978-79, 22,000 children and 2,000 women are expected to be benefitted. This programme will continue during the current year. I.C.D.S. Projects both in Pooh and Lambagaon will continue. One Bal/Balika Ashram has been proposed to be opened during 1979-80. The proposed outlay on various social welfare programmes for 1979-80 has been kept at Rs. 83 lakhs which is 63.46 per cent higher than the outlay for 1978-79.

Jails.

This Government had made a policy statement to improve the conditions in jails. Wage earning scheme was introduced during the current year. Facilities like radio sets, newspapers, indoor games and flush latrines and fans have been sought to be provided in the current year. For the first time, jails have been included in the Plan and Rs. 2.00 lakhs have been earmarked for various schemes for the improvement of jails through the provision of civic amenities and libraries, etc.

Decentralisation and delegation of Powers.

In order to build and sustain the tempo of development, our Government has devoted its attention to the following major areas for purposes of decentralising and delegating powers to various levels of administration:—

(*a*) Delegation of administrative matters;

(*b*) Delegation of financial matters;

(*c*) Delegation of Store Purchase Procedures.

I am glad to inform the Hon'ble Members that decisions involving wide ranging decentralisation and delegation of powers have been taken. In the sphere of administrative matters, powers for dealing with various types of establishment matters have been decentralised. Cases relating to Class III employees will now be disposed of at the district level, cases relating to Class II officers will be disposed of by the Heads of Departments at directorate level and only cases involving Class I officers will now need to be referred to the Government in the Administrative Department.

In the sphere of financial matters, considerable decentralisation and delegation of powers has been effected. Under the Himachal Pradesh Financial Rules, in certain cases the existing financial powers of the Heads of Offices, Heads of Departments and Administrative Departments have been increased substantially. In certain cases full authority has been given to the Administrative Departments to deal with the matters without reference to the Finance Department. Larger powers have been delegated to the Administrative Departments and Heads of Departments in respect of certain subjects like sending of officers on deputation, allowing officers to go on training, counter signatures and approval of T.A. bills etc. In the matter of approval and scrutiny of technically new schemes and new schemes for inclusion in the budget, the existing procedures has been shortened and simplified. Under the procedure now streamlined, the technically new schemes cleared by the Finance Department after full scrutiny at the initial stage need not be sent to the Finance Department again before its execution during the course of the year unless there be any change or modification in the content or objects of the scheme. Larger powers have been delegated to the Administrative Departments in the matter of re-adjustment and reappropriation of budgetary provisions within a major head of account administered by them. All these measures will improve efficiency at all levels and quicken the pace of implementation of various developmental programmes because of greater authority and flexibility made available to the executing Departments.

The Government is actively considering suitable modifications in existing Store purchase procedures to remove all bottlenecks and has also to make it more practical. Powers of the Controller of Stores for purchase purposes have been doubled. Upto Rs. 10 lakhs it would be now possible for Controller of Stores to issue N.A.C. and for more than Rs. 10 lakhs the Industry Department in consultation with the Administrative Department shall issue the N.A.C. in case there is no rate contract. The Store purchase policy will ensure that the articles or goods manufactured in the small scale

sector of the State or by the State Undertakings are purchased by the Government Departments and no purchases in this respect take place outside the State. The procedures for making purchases are being simplified and I can assure the Honourable Members that no procedural bottlenecks will be allowed to impede the pace of progress and developmental expenditure within the State.

Welfare of the Government Employees.

This Government is fully aware of the role that the State employees play in translating the policies of the State into concrete action. As such the welfare of the employees is always dear to the heart of this Government. We have been continuing to extend various concessions to our employees, to the extent it is feasible for the Government within its limited financial resources. The notable concessions extended to the employees during the period 1978-79 are:—

(1) Release of 15th instalment of Dearness Allowance in June, 1978. This has resulted in increase in annual wage bill by Rs. 75 lakhs.

(2) Review of the Rates of Compensatory Allowance, as a result of which revised rates were introduced firstly from 1 April, 1978; and subsequently from 1-12-1978 and lastly from 1-2-1979. This has resulted in an increase of Rs. 8.50 lakhs, Rs. 60.00 lakhs and Rs. 90 lakhs, respectively in the annual wage bill.

(3) House Rent Allowance for employees stationed at Simla and its suburbs has been increased from 7½% to 12½% involving annual expenditure of Rs. 9 lakhs.

(4) Class IV employees have been sanctioned Conveyance Allowance of Rs. 5 per month *w.e.f.* 1-1-1974, involving an additional annual expenditure of Rs. 12 lakhs and payment of arrears to the tune of Rs. 51 lakhs.

The Government has also reiterated its resolve to follow the Punjab pattern of pay-scales for its employees.

The relationship of love and faith that we have forged with employees, I am sure, will be reflected in a greater order of efficiency and spirit of service for the betterment of our people.

Having summed up the salient features before the Honourable Members, I present the Budget proposals and recommend that the Budget Estimates for the year 1979-80 may kindly be considered for acceptance.

6219/
14-5-79

Library IIAS, Shimla
H 330.954 52 H 57
00062191

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित।